केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(प्रतिवेदन क्रमांक–413)

स्वायत्त शासन विभाग का जेन्डर प्रतिसंवेदी बजट

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

उद्‌बोधन

भारत में महिलाओं की स्थिति पर 1974 में स्थापित कमेटी के प्रतिवेदन पश्चात् लोक व्यय में जेन्डर परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण होता जा रहा है। सर्वप्रथम आंठवीं पंचवर्षीय योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि विकास योजनाओं में महिलाओं के विकास हेतु धनराशि का प्रवाह होना चाहिये। नवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त अवधारणा को सुनिश्चित करते हुए राज्य एवं केन्द्र सरकार को कोष का 30 प्रतिशत महिला सम्बन्धी कार्यों के लिये निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया गया तथा दसवीं योजना में महिला वर्ग को सशक्त बनाने हेतु जेन्डर रेस्पोन्सिव बजटिंग को एक महत्वपूर्ण साधन माना जाकर महिलाओं की विकास में समान भागीदारी मानी गयी है। **जेन्डर बजटिंग के माध्यम से विभागीय बजट के विरूद्ध महिलाओं तथा बालिकाओं हेतु बजट प्रावधान तथा व्यय की प्रगति की समीक्षा की जाती है।**

प्रायोगिक तौर पर राज्य में जेन्डर रेस्पोन्सिव बजटिंग का कार्य वर्ष 2005–06 में छः विभागों का चयन कर प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2006–07 में इसका कार्यक्षेत्र बढ़ाते हुए आंठ और विभागों यथा ग्रामीण विकास, स्वायत्त शासन, जनजाति क्षेत्र विभाग, उद्योग विभाग, सहकारिता विभाग, वन विभाग, पशुपालन एवं उद्यान विभाग को जेन्डर बजट अंकेक्षण हेतु चिन्हित किया गया है। प्रस्तुत प्रतिवेदन में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का जेन्डर आधारित विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

स्वायत्त शासन विभाग शहरी विकास से जुड़ा एक प्रमुख विभाग है जो एक वर्ष में विभिन्न विकासीय कार्यों पर लगभग 1500 करोड़ रूपये की राशि व्यय करता है और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 8075.75 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। सूचना के अधिकार के तहत विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि क्रियान्वित योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जावे, नवीनतम प्रगति उपलब्ध हो और जो भी व्यक्तिगत लाभ की योजनाऐं हैं, उनमें अगले वित्तीय वर्ष (2007–08) से महिला लाभार्थियों की सूचनाऐं अलग से संधारित की जावे ताकि जेन्डर आधारित विश्लेषण सम्भव हो सके।

मैं आशा करता हूँ कि प्रतिवेदन में दिये गये सुझाव विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

तिथि : जून, 2007
स्थान : जयपुर

(वी. श्रीनिवास)
शासन सचिव, आयोजना

आमुख

भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन में महिलाओं की शासन तन्त्र में उपयुक्त भागीदारी निश्चित करते हुए चुनाव में 33.33 प्रतिशत महिला आरक्षण की व्यवस्था निर्धारित होने से स्थानीय स्वायत्त शासन की कुल 183 नगर निकायों में से 60(32.79 प्रतिशत) महिला अध्यक्ष तथा कुल 4816 निर्वाचित पार्षदों में से 1742(36.17 प्रतिशत) महिला पार्षद, महिला विकास की अहम् भूमिका का प्रतिनिधित्व करती है।

महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के साथ उनको विभिन्न विकासीय योजना का लाभ समान रूप से सुलभ कराने के शासकीय संकल्प के परिपेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने वर्ष 2005–06 के बजट भाषण में जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए वर्ष 2006–07 के बजट भाषण में इसके विस्तार पर बल दिया है। इस संदर्भ में इस विभाग द्वारा स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संचालित विकासीय योजनाओं हेतु प्रावधित बजट राशि में से महिला संवर्ग पर व्यय के आकलन का यथेष्ठ विश्लेषणात्मक विवरण इस प्रतिवेदन में यथास्थान देते हुए महिला वर्ग पर व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

प्रस्तुत प्रतिवेदन में इन योजनाओं में विभागीय बजट से महिलाओं तथा बालिकाओं पर वित्तीय प्रावधान के विरूद्ध व्यय की समीक्षा के साथ–साथ जेन्डर आधारित कार्यक्रम एवं बजट व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु रचनात्मक सुझावों का भी समावेश किया गया है। आशा है कि प्रतिवेदन में वर्णित सुझाव कार्यकारी विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

तिथि : जून,2007
स्थान : जयपुर

(जी.आर.पाराशर)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	i - vii
1.0	**पृष्ठभूमि**	1
1.1	जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग (परिभाषा)	2
1.2	जेन्डर बजटिंग–ऑडिटिंग के उद्देश्य	2
1.3	जेन्डर बजटिंग–ऑडिटिंग हेतु शासकीय प्रयास	3
1.4	जेन्डर बजटिंग व ऑडिटिंग की आवश्यकता	3
2.0	**स्वायत्त शासन विभाग एक परिचय**	4
3.0	**व्यक्तिगत लाभकारी योजनाऐं**	5
3.1	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)	5
3.2	बालिका समृद्धि योजना	14
3.3	पन्नाधाय जीवन अमृत बीमा योजना (जनश्री बीमा योजना)	15
3.4	अल्प लागत शौचालय कार्यक्रम	18
3.5	अक्षय कलेवा कार्यक्रम	19
4.0	**आधारभूत संरचना/शहरी विकास से सम्बन्धित योजनाऐं**	19
4.1	शहरी जनसहभागी योजना	20
4.2	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन	21
4.3	लघु एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढाँचा विकास योजना (UIDSSMT)	23
4.4	एकीकृत आवास एवं गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP)	25
4.5	ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत गन्दी बस्ती सुधार हेतु अनुदान	26
4.6	बारहवाँ वित्त आयोग अनुदान	28
4.7	राज्य वित्त आयोग अनुदान	29
4.8	विरासत संरक्षण योजना एवं हैरीटेज वॉक योजना	30
4.9	शहरी पुनरूद्धार हेतु विशेष अनुदान	30
4.10	चुरू शहर के लिए जल विकास परियोजना	31
5.0	**स्वायत्त शासन विभाग की जेन्डर आधारित प्रगति का विश्लेषण**	31
6.0	**स्वायत्त शासन विभाग में कार्यरत कर्मचारी**	32
7.0	**सुझाव**	33

सारणियों की सूची :

सारिणी–1	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की गत तीन वर्षों 2003–04 से 2005–06 तक की वित्तीय प्रगति	6
सारिणी–2	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत स्वरोजगार हेतु ऋण एवं अनुदान की गत तीन वर्षों (2003–04 से 2005–06) की भौतिक प्रगति	8
सारिणी–3	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत यू एस ई पी प्रशिक्षण की गत तीन वर्षों (2003–04 से 2005–06) की भौतिक प्रगति	10
सारिणी–4	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत द्वाक्वा योजना की गत तीन वर्षों (2003–04 से 2005–06) की भौतिक प्रगति	11
सारिणी–5	बालिका समृद्धि योजना की गत तीन वर्षों (2003–04 से 2005–06) तक की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति	15
सारिणी–6	पन्नाधाय योजना की दिसम्बर 2006 तक की प्रगति	17
सारिणी–7	पन्नाधाय योजना की प्रारम्भ से जनवरी 2007 तक की छात्रवृत्ति की जेन्डरवार सूचना	17
सारिणी–8	ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम की वर्ष 2000–01 से 2004–05 तक की भौतिक प्रगति	26
सारिणी–9	ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम की 2000–01 से 2004–05 तक की वित्तीय प्रगति	27
सारिणी–10	राज्य वित्त आयोग अनुदान वर्ष03–04 से 05–06 तक की प्रगति	29
सारिणी–11	विभाग की जेन्डर आधारित योजनाओं का प्रगति का विश्लेषण	31
सारिणी–12	स्वायत्त शासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की जेन्डरवार सूचना	32

चित्र सूची :

चित्र–1	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की गत तीन वर्षों 2003–04 से 2005–06 तक की वित्तीय प्रगति	6
चित्र–2	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत स्वरोजगार हेतु ऋण एवं अनुदान की गत तीन वर्षों (2003–04 से 2005–06) की भौतिक प्रगति	8
चित्र–3	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत यू एस ई पी प्रशिक्षण की गत तीन वर्षों (2003–04 से 2005–06) की भौतिक प्रगति	10
चित्र–4	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत द्वाक्वा योजना की गत तीन वर्षों (2003–04 से 2005–06) की भौतिक प्रगति	12
चित्र–5	बालिका समृद्धि योजना की गत तीन वर्षों (2003–04 से 2005–06) तक की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति	15
चित्र–6	पन्नाधाय योजना की प्रारम्भ से जनवरी 2007 तक की छात्रवृत्ति की जेन्डरवार सूचना	18
चित्र–7	ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम की वर्ष 2001 से 2004–05 तक की वित्तीय प्रगति	28
चित्र–8	राज्य वित्त आयोग अनुदान वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक की प्रगति	29
चित्र–9	स्वायत्त शासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की जेन्डरवार सूचना	33

स्वायत्त शासन विभाग का जेन्डर प्रतिसंवेदी बजट

निष्पादक संक्षेप

I पृष्ठभूमि :

किसी भी देश, राज्य अथवा समाज के समन्वित एवं सन्तुलित विकास के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं को विकास हेतु समान अवसर उपलब्ध कराए जाऐं। यदि महिलाओं की स्थिति पुरूषों के मुकाबले तुलनात्मक रूप से कमजोर है तो सरकार का यह दायित्व है कि वह विशेष कारगर प्रयास कर महिलाओं की स्थिति में सुधार लावे क्योंकि एक स्वस्थ एवं शिक्षित नारी न केवल स्वयं के अधिकारों एवं विकास के लिए जागृत होगी अपितु उसके परिवार के सदस्यों, समाज एवं देश के प्रति भी जिम्मेदार एवं संवेदनशील होगी।

राजस्थान राज्य भौगोलिक दृष्टि से 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान राज्य की कुल जनसंख्या 5.65 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.50 प्रतिशत है। कुल जनसंख्या में 2.94 करोड़ पुरूष व 2.71 करोड़ महिलाऐं हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में से 76.61 प्रतिशत (4.33 करोड़) जनसंख्या गांवों में तथा शेष 23.39 प्रतिशत (1.32 करोड़) शहरों में निवास कर रही है। राष्ट्र की साक्षरता दर 64.8 प्रतिशत के विपरीत राज्य की साक्षरता दर 60.4 प्रतिशत है। 2001 की जनगणना के अनुसार यद्यपि राज्य की औसत पुरूष साक्षरता दर (75.7) राष्ट्र की औसत पुरूष साक्षरता दर (75.3 प्रतिशत) से भी अधिक है लेकिन महिला साक्षरता दर औसत राष्ट्रीय साक्षरता दर 53.7 की तुलना में केवल 43.9 प्रतिशत है। यद्यपि 1991 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर 20.44 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001 में 43.9 प्रतिशत हो गयी तथापि महिला शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति क्षेत्र में समान रूप से कार्य करने के अधिकार एवं अवसर के प्ररिप्रेक्ष्य में महिलाओं को समान अवसर सुलभ करवाने का शासकीय प्रयास रहा है। देश में शिक्षा प्रसार एवं आम जागरूकता के कारण महिलाऐं भी विकास एवं नीति निर्माण क्षेत्र में सहभागी बनकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती रही हैं। महिलाओं के योगदान को स्वीकार करते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं समान भागीदारी हेतु प्रयास करते हुए 21वीं सदी में जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग की अवधारणा को साकार रूप देते हुए वार्षिक बजट घोषणा पत्रों में इसको यथेष्ठ स्थान दिया है।

II जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग (परिभाषा) :

जेन्डर बजटिंग व ऑडिटिंग अवधारणा को संक्षेप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि ''शासकीय बजट प्रावधान में जेन्डर गेप (दूरी) के परीक्षण उपरान्त जेन्डर हेतु आनुपातिक बजट व्यवस्था से महिला वर्ग पर पड़े प्रभावों का अंकेक्षण तथा महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की प्रतिबद्धता प्रकट करना।'' अन्य शब्दों में जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग एक अवधारणा है। **सामान्य वित्तीय प्रक्रिया में बजट आवंटन जेन्डर बजटिंग नहीं होकर एक समेकित बजट होता है। जेन्डर बजटिंग/ऑडिटिंग के माध्यम से विभागीय बजट के विरूद्ध महिलाओं तथा बालिकाओं हेतु बजट प्रावधान तथा व्यय की प्रगति की समीक्षा की जाती है।**

III जेन्डर बजटिंग–ऑडिटिंग के उद्देश्य :

(1) आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय का जेन्डर अनुपात को देखते हुए विश्लेषण करना।

(2) शासन द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत महिला वर्ग पर व्यय उपरान्त पडे प्रभाव का आकलन करना।

(3) महिलाओं हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना।

(4) महिलाओं को विकास क्षेत्र की मुख्य धारा में जोड़ने एवं उनके समग्र विकास हेतु सुझावों का संकलन करना।

IV जेन्डर बजटिंग व ऑडिटिंग की आवश्यकता :

राज्य में जन सेवाओं का लाभ महिलाओं तक कितना व किस तरह पहुँच रहा है, यह जानने के उद्धेश्य से माननीया मुख्यमंत्री ने अपने 2005–06 के बजट भाषण में जेन्डर बजट अंकेषण की आवश्यकता पर जोर दिया। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक स्तर पर छः विभागों को चिन्हित किया गया यथा : स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंजीयन एवं मुद्रांक, कृषि तथा समाज कल्याण विभाग वर्ष 2006–07 में आँठ विभागों यथा ग्रामीण विकास, स्वायत्त शासन, जनजाति क्षेत्र विभाग, उद्योग विभाग, सहकारिता विभाग, वन विभाग, पशुपालन एवं उद्यान विभाग को जेन्डर बजट अंकेक्षण हेतु चिन्हित किया गया है। प्रस्तुत प्रतिवेदन में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का जेन्डर आधारित विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। इस प्रतिवेदन के जेन्डर बजटिंग विश्लेषण का कार्य आयोजना विभाग के अधीन कार्यरत राज्य के मूल्यांकन संगठन द्वारा किया गया है।

V स्वायत्त शासन विभाग एक परिचय :

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या की 23.38 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है। नगरीय क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता तथा आधारभूत सुविधाओं में विकास के कारण नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। शहरों में विकास एवं अन्य कार्यक्रम क्रियान्वित करने का कार्य स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा किया जा रहा है। स्वायत्त शासन विभाग की विभिन्न गतिविधियों का निष्पादन कार्य संभागीय स्तर पर स्थापित क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है।

राज्य में वर्तमान में 183 नगर निकाय हैं। जिसमें 5 लाख से अधिक आबादी वाले 3 शहरों में नगर निगम, 1 लाख से 5 लाख तक की आबादी वाले 11 शहरों में नगर परिषद, 50 हजार से 99999 हजार आबादी वाले 39 शहरों में द्वितीय श्रेणी की नगर पालिका तथा 25000 से 49999 तक की आबादी वाले 58 कस्बों में तृतीय श्रेणी की नगरपालिका तथा 25000 से कम जनसंख्या वाले शेष 72 कस्बों में चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिकाएँ कार्यरत हैं।

शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर को ऊँचा उठाने एवं उन्हें मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के उद्धेश्य से स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय को ही विकास के विभिन्न मदों पर व्यय नहीं किया जा रहा है, अपितु विभाग द्वारा कई योजनाएँ क्रियान्वित की जाकर शहरी गरीबों के गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, आधारभूत ढाँचें के विकास एवं क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

VI स्वायत्त शासन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाऐं :

(अ) व्यक्तिगत लाभकारी योजनाऐं :

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संचालित व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना
2. बालिका समृद्धि योजना
3. पन्नाधाय जीवन अमृत बीमा योजना
4. अल्प लागत शौचालय कार्यक्रम
5. अक्षय कलेवा

स्वायत्त शासन विभाग की जेन्डर आधारित प्रगति का विश्लेषण :

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा वर्तमान में 15 योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही है। इनमें से पाँच योजनाऐं 1. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, 2. बालिका समृद्धि योजना, 3. पन्नाधाय जीवन अमृत बीमा योजना एवं 4. अल्प लागत शौचालय कार्यक्रम एवं 5. अक्षय कलेवा कार्यक्रम व्यक्तिगत लाभकारी योजनाऐं हैं जिनमें महिलाओं की भागीदारी निम्न प्रकार रही है :–

विभाग की जेन्डर आधारित प्रगति का विश्लेषण

क्र. सं.	योजना का नाम	योजनाओं की गत तीन वर्षों की प्रगति		
		कुल लाभान्वित	महिला लाभार्थी	लाभान्वितों में महिलाओं का प्रतिशत
1.	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (वर्ष 03–04 से 05–06 तक)	15402	3370	21.88
2.	बालिका समृद्धि योजना	2644	2644	100 प्रतिशत
3.	पन्नाधाय जीवन अमृत बीमा योजना			
	(i) मृत्ये दावें	19	उपलब्ध नहीं	–
	(ii)छात्रवृत्ति दावें (राज्य स्तर पर)	9706	उपलब्ध नही	–
	(ii)छात्रवृत्ति दावें (अजमेर व जयपुर संभाग में) (14.8.06 से 31.12.06 तक)	1051	427	40.62
4.	अल्प लागत शौचालय कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5.	अक्षय कलेवा कार्यक्रम (1.5.06 से 31.1.07 तक)	10195	उपलब्ध नहीं	–

उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्वर्ण जयन्ती शहरी विकास योजनान्तर्गत कुल लाभार्थियों में महिला लाभार्थियों की संख्या मात्र 21.88 प्रतिशत रही है जबकि योजना के प्रावधानानुसार कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं को लाभान्वित किया जाना चाहिए। अतः विभाग द्वारा विशेष प्रयास कर महिला लाभार्थियों की संख्या बढ़ाये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये।

बालिका समृद्धि योजना पूर्णतया बालिकाओं से सम्बन्धित होने के कारण इसका पूर्ण लाभ बालिकाओं को ही मिला है। गत तीन वर्षों में 2644 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है जिसका प्रतिवर्ष औसत 881 बालिकाऐं आता है। इस संख्या में वर्षवार उत्तरोत्तर वृद्धि अपेक्षित है। वर्तमान में वर्ष 2004–05 में यह संख्या मात्र 441 रही है।

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना में छात्रवृत्ति हेतु एल.आई.सी. को कुल 22701 दावें प्रस्तुत किये गये थे जिनमें से 9706 व्यक्तियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया एवं 334 मृत्यु दावें प्रस्तुत किये गये जिनमें से 19 दावों का भुगतान किया गया। इसमें महिला लाभार्थियों की सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है। अतः यह सिफारिश की जाती है कि अगले वित्तीय वर्ष से विभाग द्वारा लाभार्थियों की जेन्डरवार सूचना एकत्रित की जावे। पन्नाधाय योजना में अजमेर व जयपुर सम्भाग से प्राप्त सूचनानुसार छात्रवृत्ति के कुल लाभार्थियों में महिलाओं की भागीदारी 40.62 प्रतिशत रही है।

विभाग में अल्प लागत शौचालय से सम्बन्धित प्रगति उपलब्ध न होने के कारण इस योजना का जेन्डर आधारित विश्लेषण सम्भव नहीं हो पाया। अतः सिफारिश की जाती है कि अगले वित्तीय वर्ष (2007–08) से इस योजना की जेन्डर आधारित सूचना एकत्रित की जावे।

(ब) आधारभूत संरचना/शहरी विकास से सम्बन्धित योजनाऐं :

आधारभूत संरचना एवं शहरी विकास से सम्बन्धित योजनाओं का जेन्डरवार विभाजन सम्भव नहीं है परन्तु विकास का लाभ पुरूष एवं महिला दोनों द्वारा समान रूप से लिया जाता है तथा विभाग द्वारा इस ओर सक्रिय प्रयास किये जा रहे हैं। अतः स्वायत्त शासन विभाग द्वारा क्रियान्वित इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण भी प्रतिवेदन में दिया गया है। विभाग द्वारा क्रियान्वित आधारभूत संरचना एवं विकास सम्बन्धी योजनाओं का लाभ महिला वर्ग को कितना हुआ इसे अप्रत्यक्ष रूप में उस क्षेत्र की जनसंख्या में महिलाओं के अनुपात में देखा जा सकता है। विभाग द्वारा आधारभूत सुविधाओं के विकास सम्बन्धी निम्न योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही है :–

1. शहरी जन सहभागी योजना
2. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन
3. लघु एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढाँचा विकास योजना (UIDSSMT)
4. एकीकृत आवास एवं गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP)
5. ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत गन्दी बस्ती सुधार हेतु अनुदान
6. बारहवां वित्त आयोग अनुदान
7. राज्य वित्त आयोग अनुदान
8. विरासत संरक्षण योजना एवं हेरीटेज वाक योजना
9. शहरी पुनरूद्धार हेतु विशेष अनुदान
10. चुरू शहर के लिए जल निकास परियोजना

VII सुझाव :

यद्यपि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संचालित अधिकांश योजनाऐं आधारभूत संरचना एवं शहरी/बस्ती के विकास कार्यक्रम से संबंधित है। अतः जेन्डर प्रतिसंवेंदी बजट में विभाग की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है फिर भी उसके द्वारा क्रियान्वित विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों से महिला एवं पुरूष दोनों समान रूप से लाभान्वित होते हैं। अतः विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का विकास पर और विकास का महिला एवं पुरूष दोनों पर प्रभाव पड़ता है। अध्ययन के दौरान आयी कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न सुझाव प्रस्तावित है :–

1. विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की मॉनिटरिंग को सुधारने की महती आवश्यकता है। विभाग द्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार कार्यक्रम को छोड़कर किसी भी योजना की नियमित रूप से मासिक प्रगति तैयार नहीं की जाती है और जो भी सूचनाएँ एकत्रित की जाती है उनका सूक्ष्म परीक्षण न किए जाने के कारण आँकड़ों में काफी विसंगतियाँ भी पायी गयी।

2. विभाग द्वारा अलग–अलग योजनाओं के प्रभारी अधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव होने से विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की सूचना एक ही स्थान पर उपलब्ध नहीं है। विभाग के परियोजना प्रकोष्ठ अथवा सांख्यिकी प्रकोष्ठ में एक ही स्थान पर समस्त योजनाओं की जानकारी के साथ–साथ नवीनतम प्रगति भी उपलब्ध होनी चाहिये।

3. विभाग की अधिकांश योजनाओं की प्रगति केवल मात्र निकायों को आवंटन तक सीमित है। विभागीय स्तर पर योजनान्तर्गत वास्तविक व्यय की सूचना जिलेवार अपेक्षित है।

4. विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन में सुधार अपेक्षित है। उदाहरणार्थ प्रगति प्रतिवेदन में कई योजनाओं का उल्लेख नहीं है। प्रतिवेदन में प्रत्येक कार्यक्रम की नवीनतम प्रगति का उल्लेख होना चाहिए। सभी कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन के अन्त में परिशिष्ट के रूप में दर्शायी जा सकती है।

5. सभी कार्यक्रमों की नियमित मॉनिटरिंग हेतु योजनावार इस प्रकार के फारमेट तैयार किए जाने चाहिए कि जिनके मद एक समान हो। जैसे– 1.4 की अवशेष राशि, आवंटित राशि, व्यय राशि इसी प्रकार भौतिक प्रगति में यदि लाभान्वित हों तो व्यक्तियों, महिलाओं, पुरूषों की संख्या, यदि कार्य करवाए जाते हैं तो कार्यों की संख्या–पूर्ण, अपूर्ण आदि।

6. कार्य की अधिकता एवं स्टाफ की कमी के कारण विभाग योजनाओं के साथ पूरा–पूरा न्याय करने से वंचित रहा है, सभी विभागों में कम्प्यूटर उपलब्ध है। अतः उचित यह होगा कि सम्बन्धित कर्मचारी सूचनाऐं कम्प्यूटर में संग्रहित कर आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र उपलब्ध कराने में समर्थ हो।

7. यदि विभाग द्वारा जेन्डर आधारित सूचनाएँ एकत्रित की जाती है तो इसका विवरण वार्षिक प्रतिवेदन में भी दिया जावे।

8. स्वायत्त शासन विभाग शहरी विकास से जुड़ा एक प्रमुख विभाग है जो एक वर्ष में विभिन्न विकासीय कार्यों पर लगभग 1500 करोड़ रूपये की राशि व्यय करता है और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 8075.75 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। सूचना के अधिकार के तहत विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि क्रियान्वित योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जावे, नवीनतम प्रगति उपलब्ध हो और जो भी व्यक्तिगत लाभ की योजनाऐं हैं, उनमें अगले वित्तीय वर्ष (2007–08) से महिला लाभार्थियों की सूचनाऐं अलग से संधारित की जावे ताकि जेन्डर आधारित विश्लेषण सम्भव हो सके।

———

स्वायत्त शासन विभाग का जेन्डर प्रतिसंवेदी बजट

1.0 पृष्ठभूमि :

किसी भी देश, राज्य अथवा समाज के समन्वित एवं सन्तुलित विकास के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं को विकास हेतु समान अवसर उपलब्ध कराए जाऐं। यदि महिलाओं की स्थिति पुरूषों के मुकाबले तुलनात्मक रूप से कमजोर है तो सरकार का यह दायित्व है कि वह विशेष कारगर प्रयास कर महिलाओं की स्थिति में सुधार लावे क्योंकि एक स्वस्थ एवं शिक्षित नारी न केवल स्वयं के अधिकारों एवं विकास के लिए जागृत होगी अपितु उसके परिवार के सदस्यों, समाज एवं देश के प्रति भी जिम्मेदार एवं संवेदनशील होगी।

राजस्थान राज्य भौगोलिक दृष्टि से 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान राज्य की कुल जनसंख्या 5.65 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.50 प्रतिशत है। कुल जनसंख्या में 2.94 करोड़ पुरूष व 2.71 करोड़ महिलाऐं हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में से 76.61 प्रतिशत (4.33 करोड़) जनसंख्या गांवों में तथा शेष 23.39 प्रतिशत (1.32 करोड़) शहरों में निवास कर रही है। राष्ट्र की साक्षरता दर 64.8 प्रतिशत के विपरीत राज्य की साक्षरता दर 60.4 प्रतिशत है। 2001 की जनगणना के अनुसार यद्यपि राज्य की औसत पुरूष साक्षरता दर (75.7) राष्ट्र की औसत पुरूष साक्षरता दर (75.3 प्रतिशत) से भी अधिक है लेकिन महिला साक्षरता दर औसत राष्ट्रीय साक्षरता दर 53.7 की तुलना में केवल 43.9 प्रतिशत है। यद्यपि 1991 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर 20.44 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001 में 43.9 प्रतिशत हो गयी तथापि महिला शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी एवं प्रचलित धारणाओं के चलते वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य का लिंगानुपात 921 है जो राष्ट्रीय औसत 933 से काफी कम है। यदि वर्ष 1991 के आंकड़ों से 2001 के आंकड़ों की तुलना की जाए तो राज्य के शहरी लिंगानुपात 910 से घटकर 886 हो गया है, भ्रूण हत्या व लड़कों के प्रति पसन्द की प्राथमिकता के फलस्वरूप वर्ष 1991 से 2001 तक राज्य के 32 जिलों में से 21 जिलों में लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गयी है। जो एक गंभीर चिन्ता का विषय है।

वर्ष 2001 के उपर्युक्त आंकड़ों के सन्दर्भ में महिलाओं की प्रगति हेतु समान अवसर प्रदान करना तथा उनकी आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति क्षेत्र में समान रूप से कार्य करने के अधिकार एवं अवसर के प्ररिप्रेक्ष्य में महिलाओं को समान अवसर सुलभ करवाने का शासकीय प्रयास रहा है। देश में शिक्षा प्रसार एवं आम जागरूकता के कारण महिलाऐं भी विकास एवं नीति निर्माण क्षेत्र में सहभागी बनकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती रही हैं। महिलाओं के योगदान को स्वीकार करते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं समान भागीदारी हेतु प्रयास करते हुए 21वीं सदी में जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग की अवधारणा को साकार रूप देते हुए वार्षिक बजट घोषणा पत्रों में इसको यथेष्ठ स्थान दिया है।

महिला वर्ग को सशक्त बनाने हेतु जेन्डर (महिला+बालिका) बजटिंग को अब एक महत्वपूर्ण साधन माना जाकर महिलाओं की विकास क्षेत्र में समान भागीदारी मानी गयी है।

1.1 जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग (परिभाषा) :

जेन्डर बजटिंग व ऑडिटिंग अवधारणा को संक्षेप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि ''शासकीय बजट प्रावधान में जेन्डर गेप (दूरी) के परीक्षण उपरान्त जेन्डर हेतु आनुपातिक बजट व्यवस्था से महिला वर्ग पर पड़े प्रभावों का अंकेक्षण तथा महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की प्रतिबद्धता प्रकट करना।'' अन्य शब्दों में जेन्डर बजटिंग एवं ऑडिटिंग एक अवधारणा है। **सामान्य वित्तीय प्रक्रिया में बजट आवंटन जेन्डर बजटिंग नहीं होकर एक समेकित बजट होता है। जेन्डर बजटिंग/ऑडिटिंग के माध्यम से विभागीय बजट के विरूद्ध महिलाओं तथा बालिकाओं हेतु बजट प्रावधान तथा व्यय की प्रगति की समीक्षा की जाती है।**

उल्लेखनीय है कि जेन्डर बजटिंग का अभिप्राय महिलाओं के लिए पृथक से बजट आवंटन करना नहीं है अपितु महिलाओं की कठिनाइयों के निराकरण के साथ बुनियादी सुविधा क्षेत्रों के विस्तार हेतु बजट व्यवस्था को अभिनिर्धारित करते हुए उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत नियमानुसार जेन्डर (महिला+बालिका) को लाभान्वित कराते हुए आनुपातिक व्यय व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

1.2 जेन्डर बजटिंग–ऑडिटिंग के उद्देश्य :

(1) आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय का जेन्डर अनुपात को देखते हुए विश्लेषण करना।

(2) शासन द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत महिला वर्ग पर व्यय उपरान्त पडे प्रभाव का आकलन करना।

(3) महिलाओं हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना।

(4) महिलाओं को विकास क्षेत्र की मुख्य धारा में जोड़ने एवं उनके समग्र विकास हेतु सुझावों का संकलन करना।

1.3 जेन्डर बजटिंग–ऑडिटिंग हेतु शासकीय प्रयास :

आस्ट्रेलिया पहला देश था जिसने वर्ष 1984 में जेन्डर संवेदी बजट विकसित किया था इसी प्रणाली को दक्षिणी अफ्रीका ने 1995 में अपनाया था। वर्तमान समय में जेन्डर संवेदी बजट (GRB) को 35 देशों द्वारा अपनाया जा चुका है।

भारत में महिलाओं की स्थिति पर 1974 में स्थापित कमेटी के प्रतिवेदन पश्चात् लोक व्यय में जेन्डर परिपेक्ष्य महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वर्ष 1992–97 की आठवीं पंचवर्षीय योजना ने सर्वप्रथम इस बात पर जोर दिया कि साधारण विकास योजनाओं में महिलाओं के विकास हेतु धन राशि का प्रवाह होना चाहिए। नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के पूर्व में मान्य धारणा को पुनः व्यवस्थित करते हुए "महिला भागीदारी योजना" को प्रतिपादित करते हुए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को निर्देश दिये गये कि शासकीय कोष का न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला संबंधी कार्य के लिए निर्धारित किया जाय। दसवीं योजना में पूर्ण दृढ़ता के साथ महिला घटक एवं जेन्डर रेस्पोन्सिव बजटिंग (GRB) की सम्पूरक भूमिका के बदौलत यह अभिनिश्चित किया गया कि महिलाओं को विकास की यात्रा में अधिकारिक हिस्सा प्राप्त हो। सर्वप्रथम वर्ष 2001–02 के केन्द्रीय बजट में जेन्डर विश्लेषण का क्रियान्वयन कर महिला वर्ग के विकास के प्रति संवेदनशील एवं प्रभावी सोच का दायरा बढ़ाया गया।

ऐसा महसूस किया गया है कि राज्यों के बजट को जेन्डर परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित किया जाये क्योंकि राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के कोष का महत्वपूर्ण भाग सामाजिक क्षेत्र पर व्यय किया जाता है जो अंततः महिला कल्याण, विकास एवं सशक्तिकरण को प्रभावित करता है।

1.4 जेन्डर बजटिंग व ऑडिटिंग की आवश्यकता :

राज्य में जन सेवाओं का लाभ महिलाओं तक कितना व किस तरह पहुँच रहा है, यह जानने के उद्धेश्य से माननीया मुख्यमंत्री ने अपने 2005–06 के बजट भाषण में जेन्डर बजट अंकेषण की आवश्यकता पर जोर दिया। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक स्तर पर छः विभागों को चिन्हित किया गया यथा : स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंजीयन एवं मुद्रांक, कृषि तथा समाज कल्याण विभाग। वर्ष 2006–07 में आठ विभागों यथा ग्रामीण विकास, स्वायत्त शासन, जनजाति क्षेत्र विभाग, उद्योग विभाग, सहकारिता विभाग, वन विभाग, पशुपालन एवं उद्यान विभाग को जेन्डर बजट अंकेक्षण हेतु चिन्हित किया गया है। प्रस्तुत प्रतिवेदन में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का जेन्डर आधारित विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। इस प्रतिवेदन के जेन्डर बजटिंग विश्लेषण का कार्य आयोजना विभाग के अधीन कार्यरत राज्य के मूल्यांकन संगठन द्वारा किया गया है।

2.0 स्वायत्त शासन विभाग एक परिचय :

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या की 23.38 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है। नगरीय क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता तथा आधारभूत सुविधाओं में विकास के कारण नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। शहरों में विकास एवं अन्य कार्यक्रम क्रियान्वित करने का कार्य स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा किया जा रहा है। स्वायत्त शासन विभाग की विभिन्न गतिविधियों का निष्पादन कार्य संभागीय स्तर पर क्षेत्रीय उपनिदेशक, जिला परियोजना अधिकारी, स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

राज्य में वर्तमान में 183 नगर निकाय हैं। जिसमें 5 लाख से अधिक आबादी वाले 3 शहरों में नगर निगम, 1 लाख से 5 लाख तक की आबादी वाले 11 शहरों में नगर परिषद, 50 हजार से 99999 हजार आबादी वाले 39 शहरों में द्वितीय श्रेणी की नगर पालिका, 25000 से 49999 तक की आबादी वाले 58 कस्बों में तृतीय श्रेणी की नगरपालिका तथा 25000 से कम जनसंख्या वाले शेष 72 कस्बों में चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिकाएँ कार्यरत हैं।

शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर को ऊँचा उठाने एवं उन्हें मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के उद्धेश्य से स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय को ही विकास के विभिन्न मदों पर व्यय नहीं किया जा रहा है, अपितु विभाग द्वारा कई योजनाएँ क्रियान्वित की जाकर शहरी गरीबों के गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, आधारभूत ढाँचें के विकास एवं क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा वर्तमान में 15 योजनाएँ संचालित की जा रही है। विभाग द्वारा संचालित अधिकांश योजनाएँ आधारभूत संरचना अथवा शहरी/बस्ती के विकास से संबंधित है। क्षेत्रीय विकासीय योजनाओं में व्यक्तिगत लाभार्थी उपलब्ध न होने के कारण जेन्डर बजटिंग का विश्लेषण संभव नहीं है। किन्तु विभाग की पूर्ण कार्य प्रणाली एवं योजनाओं की जानकारी हेतु प्रत्येक योजना का संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत प्रतिवेदन में दिया जा रहा है। सर्वप्रथम उन व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है जिनमें जेन्डर आधारित विश्लेषण संभव है।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाऐं :

(अ) व्यक्तिगत लाभकारी योजनाऐं :

1. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना
2. बालिका समृद्धि योजना
3. पन्नाधाय जीवन अमृत बीमा योजना
4. अल्प लागत शौचालय कार्यक्रम
5. अक्षय कलेवा

(ब) **आधारभूत संरचना/शहरी विकास से सम्बन्धित योजनाऐं :**

1. शहरी जन सहभागी योजना
2. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन
3. लघु एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढाँचा विकास योजना (UIDSSMT)
4. एकीकृत आवास एवं गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP)
5. ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत गन्दी बस्ती सुधार हेतु अनुदान
6. बारहवां वित्त आयोग अनुदान
7. राज्य वित्त आयोग अनुदान
8. विरासत संरक्षण योजना एवं हेरीटेज वाक योजना
9. शहरी पुनरूद्धार हेतु विशेष अनुदान
10. चुरू शहर के लिए जल निकास परियोजना

चुने हुए जन प्रतिनिधि :–

74वें संविधान संशोधन में महिलाओं को उपयुक्त स्थान देते हुए 33.33 प्रतिशत चुनाव में आरक्षण का लाभ दिया गया। वर्तमान में 183 नगर निकायों में से 60 नगर निकायों में महिला अध्यक्ष हैं तथा कुल 4816 पार्षदों में 1742 महिला पार्षद हैं।

3.0 व्यक्तिगत लाभकारी योजनाऐं :

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संचालित व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :–

3.1 स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) :

केन्द्र प्रवर्तित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना 1 दिसम्बर 1997 से आरम्भ की गई है। इस योजनान्तर्गत 75 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार से एवं 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार से प्राप्त होती है। योजनान्तर्गत मुख्य रूप से शहरी रोजगार अथवा अल्प रोजगार वाले गरीब (बी.पी.एल.) परिवारों को लाभान्वित किया जाता है। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का प्रमुख उद्धेश्य गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) जीवनयापन कर रहे चयनित परिवारों को साख व अनुदान द्वारा अतिरिक्त आय सृजन करने वाली परिसम्पत्तियाँ उपलब्ध कराकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। यह कार्यक्रम राजस्थान राज्य के सभी शहरी कस्बों अर्थात समस्त 183 नगर निकायों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

लक्षित समूह :

(i) समय–समय पर परिभाषित होने वाले शहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाता है।

(ii) कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला लाभान्वितों का प्रतिशत 30 से कम नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को कम से कम स्थानीय जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है।

(iii) लाभान्वितों में 3 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग होना चाहिए।

(iv) योजनान्तर्गत महिला प्रमुख परिवारों जिनकी प्रमुख विधवा, परित्यक्ता, अकेली महिला हो उन परिवारों को अन्य लाभान्वितों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की गत तीन वर्षों (2003–04 से 2005–06) तक की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

सारिणी–1

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की गत तीन वर्षों 2003–04 से 2005–06 तक की वित्तीय प्रगति

(राशि लाख रूपयों में)

क्र. सं.	वर्ष	1.4. को शेष राशि	प्राप्त राशि			कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	उपलब्ध राशि का खर्च प्रतिशत में	प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत में
			केन्द्र	राज्य	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2003–04	1203.16	122.96	176.56	299.52	1502.68	390.47	25.98	130.36
2.	2004–05	1112.21	256.29	67.68	323.97	1436.18	353.68	24.63	109.17
3.	2005–06	1082.50	495.38	82.56	577.94	1660.44	660.39	39.77	114.27
	योग :	**3397.87**	**874.63**	**326.80**	**1201.43**	**4599.30**	**1404.54**	**30.54**	**116.90**

चित्र–1

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की गत तीन वर्षों 2003–04 से 2005–06 तक की वित्तीय प्रगति

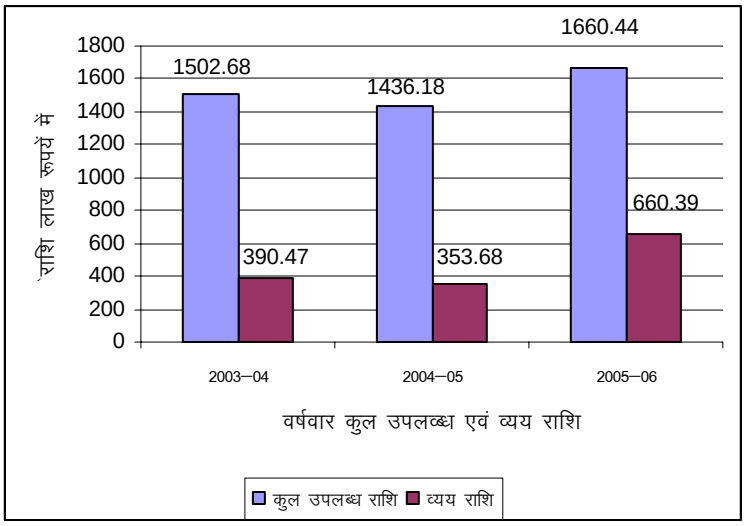

उपर्युक्त सारिणी में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की गत तीन वर्षों की 1.4 की अवशेष राशि, प्राप्त राशि, कुल उपलब्ध राशि, व्यय राशि एवं उपलब्ध तथा प्राप्त राशि का प्रतिशत दर्शाया गया है। उपर्युक्त सारिणी से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं :–

1. योजनान्तर्गत 75 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार से एवं 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार से प्राप्त होती है लेकिन संदर्भित तीनों वर्षों में राशि का अनुपात 75:25 नहीं है। वर्ष 2003–04 में तो राज्य की हिस्सा राशि 176.56 लाख रूपये है जबकि केन्द्र से मात्र 122.96 लाख रूपये प्राप्त हुए हैं। गत तीन वर्षों के केन्द्र सरकार से प्राप्त 874.63 लाख रूपये के विपरीत राज्य की हिस्सा राशि 291.54 लाख रूपये होनी चाहिए जबकि यह 326.80 लाख रूपये है। विभाग से वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि पूर्व के वर्षों में राज्य सरकार द्वारा संबंधित वर्ष में पूरी राशि न दिए जाने के फलस्वरूप बाद के वर्षों में अधिक राशि प्राप्त हुई है।

2. सारिणी के कॉलम 3 को देखने पर विदित होता है कि योजनान्तर्गत काफी राशि अवशेष पड़ी हुई है यद्यपि गत तीन वर्षों में अवशेष राशि में लगातार कमी हो रही है तथापि 10 करोड़ से अधिक राशि का अवशेष योजना की सफलता पर प्रतिकूल प्रभाव प्रदर्शित करता है।

3. गत तीन वर्षों में विभाग द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि से अधिक व्यय किया गया है। वर्ष 2003–04 में प्राप्त राशि का 130 प्रतिशत, वर्ष 2004–05 में 109.17 प्रतिशत एवं वर्ष 2005–06 में 114.27 प्रतिशत व्यय किया गया है।

4. योजनान्तर्गत पूर्व के वर्षों की अवशेष राशि अधिक होने के कारण गत तीन वर्षों में कुल उपलब्ध राशि का मात्र 30.54 प्रतिशत ही व्यय हो पाया है। विभाग द्वारा योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि का शीघ्र व्यय किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की गत तीन वर्षों की जेन्डरवार भौतिक प्रगति :

योजना के प्रावधान के अनुसार स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत लाभान्वित महिलाओं का प्रतिशत 30 से कम नहीं होना चाहिए एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के लाभान्वितों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिये। शहरी रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी बी.पी.एल. पुरूष ज्यादातर सर्विस सेक्टर में ऋण के लिए आवेदन करते हैं जिनमें प्रमुख हैं– साईकिल, स्कूटर, टी.वी., फ्रिज, मोबाईल रिपेयरिंग, मोटर वाईडिंग, फोटोग्राफी, विडियोग्राफी, किराना, कम्प्यूटर आदि में रूचि रखते हैं, जबकि महिलाओं की कढ़ाई–बुनाई, जरदोजी, दरी–बुनाई, रेगजीन बैग, आरी–तारी, जूट बैग, स्कूल यूनीफार्म, लाख की चूड़ी, बन्धेज–रंगाई, हैण्डीक्राफ्ट आदि व्यवसायों में रूचि होती है। आवश्यकता होने पर इन्हीं व्यवसायों में अनुदान एवं ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। विभाग द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अनुदान की गत तीन वर्षों के पुरूष एवं महिला लाभार्थियों की संख्या निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

सारिणी–2

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत स्वरोजगार हेतु ऋण एवं अनुदान की गत तीन वर्षों (2003–04 से 2005–06) की भौतिक प्रगति

क्र. सं.	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या			लाभार्थियों का प्रतिशत		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	2003–04	3344	1041	4385	76.26	23.74	100
2.	2004–05	3368	1071	4439	75.87	24.13	100
3.	2005–06	5320	1258	6578	80.88	19.12	100
	योग :	**12032**	**3370**	**15402**	**78.12**	**21.88**	**100**

चित्र–2

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत स्वरोजगार योजना की गत तीन वर्षों (2003–04 से 2005–06 तक) की भौतिक प्रगति

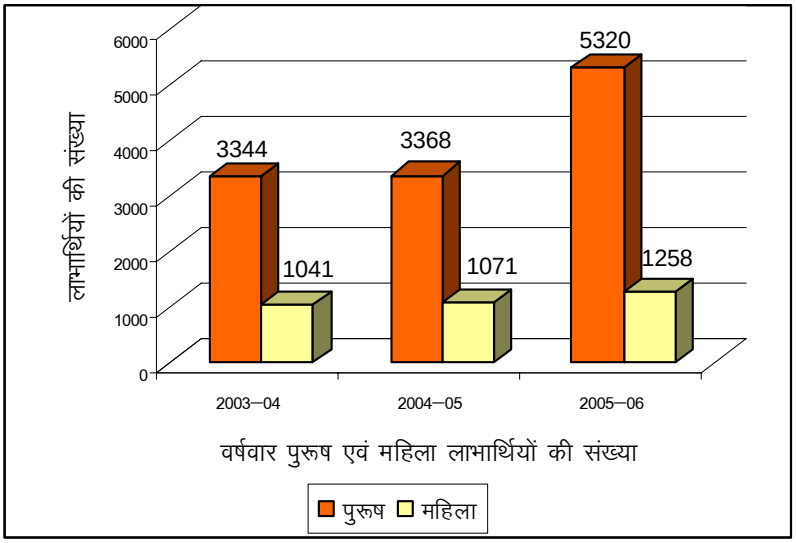

उपर्युक्त सारिणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत स्वरोजगार के तहत वर्ष 2003–04 में 4385, वर्ष 2004–05 में 4439 एवं वर्ष 2005–06 में 6578 व्यक्ति लाभान्वित किये गये हैं। आँकड़ों को देखने से स्पष्ट है कि लाभार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुयी है।

योजनान्तर्गत लाभान्वितों में महिला लाभार्थियों का प्रतिशत वर्ष 2003–04, 04–05 एवं 05–06 में क्रमशः 23.74, 24.13 एवं 19.12 रहा है जो योजना के 30 प्रतिशत प्रावधान से काफी कम है। वर्ष 05–06 में तो यह प्रतिशत मात्र 19.12 ही रहा है। गत तीन वर्षों में महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 21.88 रहा है। अतः विभाग द्वारा विशेष प्रयास कर आनुपातिक स्तर तक महिलाओं को लाभान्वित किया जाना चाहिये।

योजना के प्रमुख घटक :

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के 2 मुख्य घटक हैं :–

(अ) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम

(ब) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम

(अ) **शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम** :

यह कार्यक्रम अल्प रोजगार वाले तथा बेरोजगार शहरी युवाओं को सेवाओं से संबंधित लघु उद्यम (Enterprises) छोटा व्यापार तथा उत्पादन जिसके लिए शहरी क्षेत्र में बहुत संभावना है, स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार है :–

(i) **स्वरोजगार हेतु ऋण व अनुदान** :

चयनित पात्र परिवारों के युवा बेरोजगारों को अपने स्वयं के व्यवसाय की स्थापना हेतु अधिकतम 50000/– रूपये तक की परियोजना लागत की सीमान्तर्गत 15 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम 7500/– रूपये) देने का प्रावधान है। परियोजना की कुल लागत से 5 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में लाभार्थी स्वयं का योगदान तथा शेष राशि ऋण के रूप में बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। योजनान्तर्गत महिलाओं को 30 प्रतिशत, विकलांगों को 3 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति–जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभान्वित करने का प्रावधान निर्धारित है।

(ii) **स्वरोजगार हेतु कौशल उन्नयन प्रशिक्षण** :

कार्यक्रम के अन्तर्गत पुरूष लाभार्थियों को विभिन्न व्यवसायों यथा बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, कारीगर, बिजली का काम, टी.वी. फ्रिज रिपेयर, कम्प्यूटर, रेडीमेड वस्त्रों की सिलाई आदि व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि महिला लाभार्थियों को कढ़ाई–बुनाई, जरदोजी, दरी–बुनाई, आरी–तारी, लाख की चूडी बनाना, बन्धेज रंगाई आदि व्यवसायों में आवश्यकता होने पर प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को कम से कम 3 घण्टे का प्रशिक्षण एवं प्रति प्रशिक्षणार्थी 2000/– रूपये के व्यय का प्रावधान है। जिसमें प्रशिक्षणार्थी का स्टाईफण्ड, सामग्री की लागत एवं प्रशिक्षण से संबंधित अन्य व्यय सम्मिलित है। संबंधित व्यवसाय में प्रशिक्षण के पश्चात् उस प्रशिक्षण से संबंधित 600/– रूपये तक का टूल–किट दिये जाने का भी प्रावधान है।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत स्वरोजगार प्रारम्भ करने हेतु लाभार्थियों को विभिन्न व्यवसायों में दिये गये प्रशिक्षण एवं जेन्डरवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी– 3

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत यू एस ई पी प्रशिक्षण की गत तीन वर्षों (2003–04 से 2005–06) की भौतिक प्रगति

क्र.सं.	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या			लाभार्थियों का प्रतिशत		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	2003–04	125	1674	1799	6.95	93.05	100
2.	2004–05	134	3399	3533	3.79	96.21	100
3.	2005–06	152	3622	3774	4.03	95.97	100
	योग :	**411**	**8695**	**9106**	**4.51**	**95.49**	**100**

चित्र–3

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत यू एस ई पी प्रशिक्षण की गत तीन वर्षों (2003–04 से 2005–06) की भौतिक प्रगति

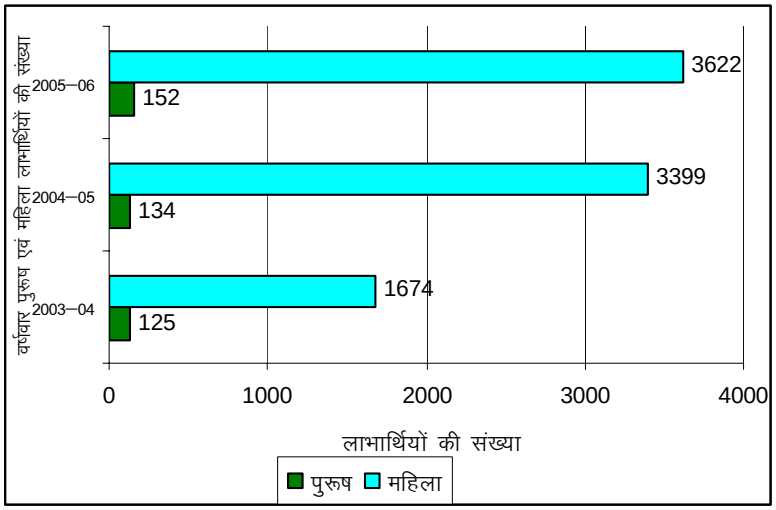

उपर्युक्त तालिका के विवरण से स्पष्ट है कि पुरूषों के मुकाबले महिलाओं को अधिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2003–04 में कुल 1799 व्यक्तियों को, वर्ष 2004–05 में 3533 व्यक्तियों को एवं वर्ष 2005–06 में 3744 व्यक्तियों का प्रशिक्षण दिया गया। इन तीन वर्षों में पुरूष प्रशिक्षणार्थी केवल 6.95, 3.79 एवं 4.03 प्रतिशत रहे हैं। शेष सभी प्रशिक्षणार्थी महिला प्रशिक्षणार्थी थे। संक्षेप में गत तीन वर्षों में 90 प्रतिशत से 96 प्रतिशत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। अतः योजना क्रियान्विति से यह आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में महिलाएँ स्वरोजगार प्रारम्भ करने हेतु प्रेरित होगी तथा फलस्वरूप महिला उद्यमियों की संख्या में वृद्धि हो सकेगी।

(iii) **बचत व साख** :

योजनान्तर्गत शहरी निर्धन महिलाओं में बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के आशय से स्वयं सहायता समूह गठित किये जाते हैं, ताकि महिलाएँ आम सहमति से बचत द्वारा एकत्र धनराशि को बैंक में जमा कर उस राशि मे से अपनी छोटी–मोटी आवश्यकताओं हेतु ऋण प्राप्त कर सकें। यदि महिला स्वयं सहायता समूह 1 वर्ष तक सफलतापूर्वक अपना पैसा बैंक में जमा करवाकर आपस में रूपयों का लेनदेन करते हैं तो इन समूहों को बचत व साख समिति में परिवर्तित कर प्रति सदस्य 1000/– रूपये की दर से (अधिकतम 25000/– रूपये) अनुदान के रूप में रिवॉल्विंग फण्ड हेतु दिये जाते हैं। विभाग द्वारा कार्यरत समूहों की संख्या उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण विश्लेषण सम्भव नहीं हो सका।

(iv) **शहरी क्षेत्र में महिला व बच्चों का विकास कार्यक्रम (द्वाकवा)** :

इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्धेश्य शहरी गरीब महिलाओं को किसी व्यवसायिक गतिविधि में प्रशिक्षण देकर आर्थिक लाभकारी परियोजना लगाने हेतु प्रेरित करना है। इस प्रकार के स्वयं सहायता समूह में कम से कम 10 महिला सदस्यों की संख्या आवश्यक है। 10 अथवा अधिक महिलाओं के समूह को 250000/– रूपये की परियोजना लागत के अनुसार ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 125000/–रूपये) तक अनुदान देने का प्रावधान है।

यह कार्यक्रम केवल महिलाओं के लिए होने से इसकी सभी लाभार्थी महिलाएँ ही है। गत तीन वर्षों में लाभान्वित महिलाओं का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी– 4

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत द्वाक्वा योजना की गत तीन वर्षों (2003–04 से 2005–06) की भौतिक प्रगति

क्र.सं.	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या			लाभार्थियों का प्रतिशत		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	2003–04	0	86	86	–	100	100
2.	2004–05	0	110	110	–	100	100
3.	2005–06	0	49	49	–	100	100
	योग :	**–**	**245**	**245**	**–**	**100**	**100**

चित्र–4
स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत द्वाक्वा योजना की
गत तीन वर्षों (2003–04 से 2005–06) की भौतिक प्रगति

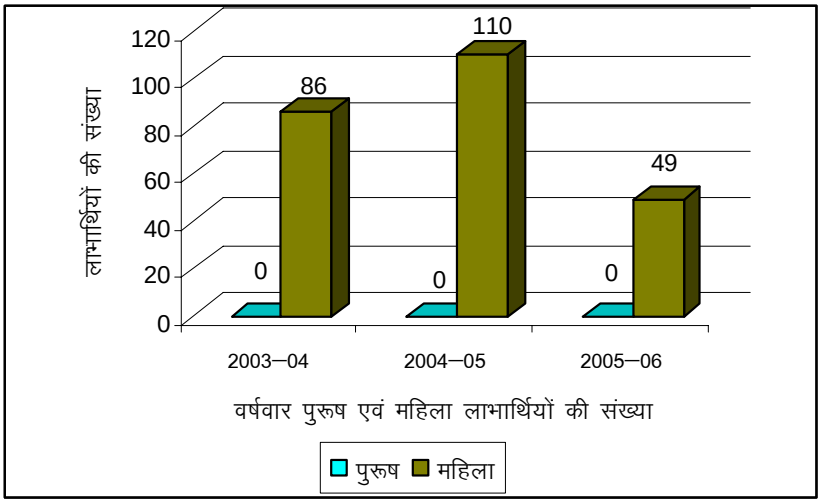

उपर्युक्त तालिका से विदित होता है कि वर्ष 2003–04, 04–05 व 05–06 में क्रमशः 86, 110 व 49 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 2004–05 में महिला प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 86 से बढ़कर 110 हो गयी लेकिन वर्ष 2005–06 में यह संख्या केवल 49 ही रह गयी। शहरी जनसंख्या में गरीब महिलाओं की संख्या को देखते हुए यह संख्या काफी कम है। गरीब महिलाओं को चिन्हित कर प्रशिक्षणार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के प्रयास किये जाने चाहिये।

सभी नगर निकायों में एक गरीबी उन्मूलन प्रकोष्ठ बनाया गया है, जिसमें प्रभारी अधिकारी गरीबी उन्मूलन प्रकोष्ठ के अधीन एक समुदाय संगठक कार्यरत है। अधिकांशतः समुदाय संगठक चुंगी अधिशेष कर्मचारी है। इस कर्मचारी का कार्य बी.पी. एल. परिवारों के इच्छुक पुरूष एवं स्त्रियों से ऋण के आवेदन पत्र प्राप्त कर बैकों को भिजवाना, प्रशिक्षण आयोजित कराना, स्वयं सहायता समूहों का गठन, एक साल पश्चात् थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट सोसाइटी में परिवर्तन करना द्वाक्वा समूह गठन करना, मेडिकल कैम्प, जन–चेतना शिविर लगवाना आदि कार्य सम्पादित करने के साथ–साथ शहरी वैतनिक रोजगार घटक के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के प्रस्ताव नगर निकाय में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं से तैयार करवाकर जिला स्तरीय गरीबी उपशमन समन्वय समिति (डूडा) में प्रेषित करना है। वर्तमान में कोई महिला स्टाफ इन कार्यों के लिये उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि महिलाओं से सम्बन्धित घटकों यथा स्वयं सहायता समूह गठन, बचत व साख समिति द्वाक्वा ग्रुप गठन एवं बालिका समृद्धि योजना में अपेक्षित सफलता मिलने में कठिनाई हो रही है।

(v) **सामुदायिक ढाँचा :**

इस घटक में उपलब्ध कराई गई राशि से समुदाय को सशक्त करने के साथ–साथ चिकित्सा शिविर, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र एवं जन चेतना शिविर आयोजित किये जाते हैं। योजना के प्रचार–प्रसार हेतु मेडिकल केम्पस् व जन–चेतना शिविर लगाये जाते हैं जिसमें बी.पी.एल. परिवारों हेतु हितकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। विभाग द्वारा योजना के प्रचार–प्रसार हेतु पेम्पलेटस् भी जन–प्रतिनिधियों को वितरित किये जाते हैं।

विभाग द्वारा हाल ही में एच.आर.डी. प्लान तैयार कर सभी चुने हुए प्रतिनिधियों/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारियों को जिलेवार प्रशिक्षण भी दिया गया है। इस प्रशिक्षण में विभागीय कार्यकलापों के साथ, गरीबी उन्मूलन हेतु चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जन–प्रतिनिधियों को अवगत कराया जाता है ताकि वे अपने क्षेत्र में जब भी जन–सम्पर्क के लिए जावे तो योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करा सके।

(vi) **आधारभूत संरचना** :

इस मद में उपलब्ध कराई गई राशि का प्रमुख उद्धेश्य लक्षित समूह के परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु आवश्यक बेकवर्ड व फोरवर्ड लिंकेज उपलब्ध कराना है। इस मद में खुदरा बाजारों का विकास, उत्पादन बिक्री केन्द्र निर्माण, शहरी गरीबों के छोटे बाजारों में मूलभूत सुविधाओं का विकास उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं के ट्रेडमार्क हेतु व्यय, उत्पादन की बिक्री हेतु प्रचार–प्रसार व पैकिंग हेतु डिजाईनिंग व्यय का प्रावधान है।

(ब) **शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम** :

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के तहत यह कार्यक्रम उन कस्बों/शहरों में क्रियान्वित किया जा रहा है जिसकी आबादी वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 5 लाख से कम है। इसका प्रमुख उद्धेश्य स्थानीय गरीब परिवारों को मजदूरी के अवसर उपलब्ध कराते हुए सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण एवं सृजन करना है। कार्यक्रम के तहत सामग्री व श्रम का अनुपात 60:40 होना चाहिए तथा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी दी जानी चाहिए। गत तीन वर्षों में कितने गरीब परिवारों और उनमें कितनी महिलाओं को मजदूरी दी गयी, के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण कार्यक्रम का विश्लेषण नहीं किया जा सका है। विभाग को भविष्य में इस प्रकार के आँकड़े संग्रहित करने की सिफारिश की जाती है।

3.2 बालिका समृद्धि योजना :

परिचय :

शत प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित यह योजना वर्ष 2000–2001 से क्रियान्वित की जा रही है। इसका नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग है लेकिन शहरी क्षेत्रों में इस योजना का क्रियान्वयन नगर निकायों द्वारा किया जाता है।

उद्धेश्य :

1. जन्म के समय बालिका तथा उसकी माता के प्रति परिवार एवं समुदाय के नकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना।
2. बालिकाओं के विद्यालयों में प्रवेश तथा शिक्षार्जन जारी रखने की स्थिति में सुधार लाना।
3. बालिकाओं की विवाह की आयु में वृद्धि करना।
4. बालिकाओं को आयोत्पादक कार्यकलाप प्रारम्भ करने में सहायता देना।

योजना के लाभ :

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में 15 अगस्त, 1997 को या इसके बाद जन्म लेने वाली (केवल 2 बालिकाओं तक) प्रत्येक बालिका को 500/– रूपये की अनुदान राशि बालिका एवं राज्य सरकार द्वारा पदनामित अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी) के संयुक्त नाम से समीप के डाकघर अथवा बैंक में खाता खुलवाकर ब्याजधारी खाते में जमा कराये जाने का प्रावधान है। बाद में पात्र बालिका के स्कूल में प्रवेश कर कक्षानुसार वार्षिक छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है। यह योजना राज्य के सभी 183 नगर निकायों में क्रियान्वित की जा रही है।

योजना का कार्य क्षेत्र एवँ क्रियान्वयन की प्रक्रिया :

18 वर्ष की आयु से पूर्व उसके विवाह होने पर अथवा बालिका की मृत्यु होने पर कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेन्सी बालिका के नाम से जमा राशि आहरण कर स्कीम के तहत अन्य पात्र बालिकाओं को देने का प्रावधान है। योग्य लाभार्थियों के चिन्हीकरण करने हेतु सामुदायिक संगठन पडौस समिति, गैर सरकारी संगठन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ए.एन.एम. अध्यापक, सी.डी.एस. की अध्यक्षा आदि का सहयोग लिया जा सकता है।

वित्तीय एवं भौतिक प्रगति :

गत 3 वर्षों में इस योजनान्तर्गत अर्जित वित्तीय और भौतिक प्रगति निम्नानुसार है :–

सारिणी– 5
बालिका समृद्धि योजना की गत तीन वर्षों 03–04 से 05–06
तक की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

(राशि लाख रूपये में)

क्र.सं.	प्रगति	2003–04	2004–05	2005–06
1.	वित्तीय प्रगति (व्यय लाख रूपये)	4.665	2.205	6.350
2.	भौतिक प्रगति (लाभार्थी संख्या)	933	441	1270

चित्र– 5
बालिका समृद्धि योजना की गत तीन वर्षों 03–04 से 05–06
तक की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

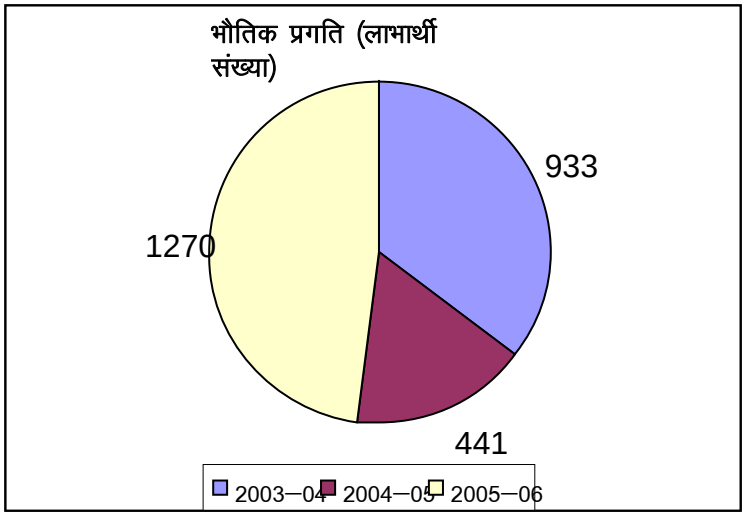

उपर्युक्त सारिणी से ज्ञात होता है कि वर्ष 2003–04 में जहाँ 933 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया वहीं यह संख्या वर्ष 2004–05 में घटकर मात्र 441 रह गयी। लेकिन वर्ष 2005–06 में 1270 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया।

3.3 पन्नाधाय जीवन अमृत बीमा योजना (जनश्री बीमा योजना) :

परिचय :

माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को बीमा का लाभ देने के लिए पन्नाधाय जीवन अमृत बीमा योजना (जनश्री बीमा योजना) 14 अगस्त, 2006 से भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से शहरी क्षेत्र के सभी निकायों में लागू की गई है। इसका नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग है तथा शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वयन नगर निकायों द्वारा किया जा रहा है। बी पी एल परिवारों की प्रामाणिक सूची जीवन बीमा निगम को उपलब्ध करायी गयी है तथा बीमे के प्रीमियम का भुगतान प्रार्थी द्वारा न किया जाकर सरकार द्वारा किया जाता है।

पात्रता/लाभार्थी :

वर्ष 2003 के बीपीएल परिवार के मुखिया जिसकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष है, का बीमा किया जा रहा है तथा मुखिया की आयु 60 वर्ष से अधिक होने पर उसके परिवार कार्ड में उल्लेखित वरिष्ठतम व्यक्ति पात्र होगा। मुखिया को यह विकल्प होगा कि वह चाहे तो अपना बीमा कराये अथवा परिवार में मुख्य आजीविका कमाने वाले का बीमा करवाये।

कार्यकारी एजेंसी :

शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी।

दावा करने की प्रक्रिया :

शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति दावें व मृत्यु दावा प्रकरण सीधे भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय में भिजवाये जाते हैं तथा जीवन बीमा निगम कार्यालय से स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रगति प्राप्त की जाती है। विभाग द्वारा अवगत करवाया गया है कि जीवन बीमा निगम कार्यालय द्वारा जेन्डर आधारित सूचना एकत्रित नहीं की जाती है। अतः सिफारिश की जाती है कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जीवन बीमा कार्यालयों को पत्र लिखकर जेन्डर आधारित सूचना संकलित करने हेतु निवेदन किया जावें।

अनुदान सहायता :

इस योजना में बीमित व्यक्ति के नामित सदस्य को निम्नलिखित लाभ देय होगा, जिसका भुगतान जीवन बीमा निगम द्वारा किया जावेगा।

1. सामान्य मृत्यु होने की दशा में 30 हजार रूपये।
2. दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में।
   - (क) मृत्यु होने पर 50 हजार रूपये।
   - (ख) स्थायी व पूर्ण शारीरिक अपंगता होने पर 50 हजार रूपये।
   - (ग) 2 आंख या 2 हाथ/पैर और एक आंख या एक हाथ/पैर की क्षति होने पर 50 हजार रूपये।
   - (घ) एक आंख या एक हाथ/पैर की क्षति होने पर 25 हजार रूपये।

बीमित व्यक्ति के बच्चों को छात्रवृत्ति :

बीमित सदस्य के कक्षा 9 से कक्षा 12 तक अध्ययनरत अधिकतम दो बच्चों को 100 रूपये प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से तिमाही आधार पर छात्रवृत्ति अधिकतम 4 वर्षों के लिए देय है। छात्र के अनुत्तीर्ण होने की दशा में छात्रवृत्ति का भुगतान देय नहीं है।

इस योजना के लागू होने से राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना जिसके अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर उसके परिवार को मात्र 10 हजार रूपये की सहायता दिये जाने की व्यवस्था थी, वह समाप्त हो जावेगी।

वित्त प्रबन्धन :

इस योजनान्तर्गत बीमित सदस्य के बीमा प्रीमियम की राशि रूपये 200/– निर्धारित है। इस राशि में से 100/– रूपये राज्य सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान किया जावेगा तथा 100/– रूपये का अंशदान भारत सरकार द्वारा स्थापित सामाजिक सुरक्षा निधि से किया जावेगा।

सारिणी– 6

पन्नाधाय योजना की दिसम्बर 2006 तक की प्रगति

क्र.स.	मद	प्राप्त दावे	भुगतान किये	खारिज दावे	शेष दावे
1	2	3	4	5	6
1.	छात्रवृत्ति	22701	9706	391	12604
2.	मृत्यु दावे	334	19	7	308

उपर्युक्त सारिणी को देखने से स्पष्ट है कि जीवन बीमा निगम को शहरी क्षेत्रों में छात्रवृत्ति हेतु दिसम्बर,2006 तक 22701 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें 9706 व्यक्तियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है, 391 दावे खारिज किये गये, 12604 दावे शेष है। जीवन बीमा निगम को अब तक 334 मृत्यु दावे प्राप्त हुए, जिसमें से 13 का भुगतान किया जा चुका, 7 दावे खारिज किये जा चुके, 308 दावे शेष हैं, जिनमें कुछ कमियाँ होने की वजह से निगम कार्यालय द्वारा पत्राचार किया जा रहा है। विभाग के पास जेन्डरवार आँकड़े उपलब्ध न होने से विश्लेषण सम्भव नहीं हो सका। भविष्य में जेन्डरवार आँकड़े संकलित करने की सिफारिश की जाती है।

छात्रवृत्ति की जेन्डरवार सूचना :

विभाग के पास राज्य स्तरीय जेन्डरवार आँकड़े उपलब्ध नहीं थे। अतः मूल्यांकन संगठन के निवेदन पर विभाग द्वारा अजमेर व जयपुर सम्भाग की छात्रवृत्ति से सम्बन्धित जेन्डरवार सूचना एकत्रित की गयी। पन्नाधाय योजना की प्रारम्भ से (14 अगस्त 2006) से जनवरी 2007 तक की अजमेर व जयपुर सम्भाग की जेन्डरवार सूचना निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

सारिणी– 7

पन्नाधाय योजना की प्रारम्भ से जनवरी 2007 तक की छात्रवृत्ति की जेन्डरवार सूचना

क्र. सं.	सम्भाग	छात्रवृत्ति हेतु बीमा कार्यालय को प्रेषित फॉर्म			छात्रवृत्ति प्रदान की गयी		
		लड़के	लड़कियाँ	योग	लड़के	लड़कियाँ	योग
1	अजमेर	1364	1058	2422	39	47	86
2	जयपुर	1914	1488	3402	585	380	965
	योग :	**3278**	**2546**	**5824**	**624**	**427**	**1051**

चित्र–6

पन्नाधाय योजना की प्रारम्भ से जनवरी 2007 तक की छात्रवृत्ति की जेन्डरवार सूचना

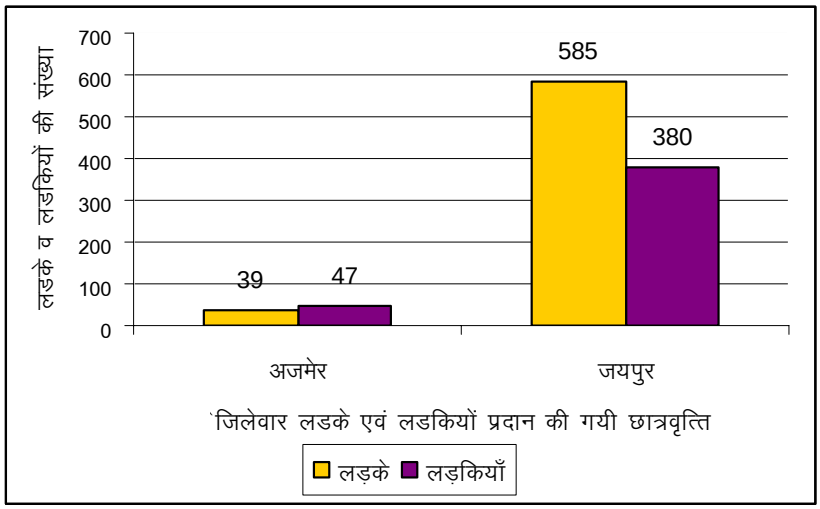

उपर्युक्त सारिणी से ज्ञात होता है कि पन्नाधाय योजना में दो सम्भागों में कुल 5824 आवेदन–पत्र बीमा कार्यालय को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु प्रेषित किये गये लेकिन मात्र 1051 अर्थात 18.0 प्रतिशत छात्रों को ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी। प्रेषित आवेदन–पत्रों में महिलाओं के 43.71 प्रतिशत आवेदन–पत्र थे एवं स्वीकृत 1051 छात्रवृत्ति में 427 अर्थात 40.62 प्रतिशत छात्रवृत्ति महिलाओं को दी गयी थी। संक्षेप में महिलाओं की भागीदारी सन्तोषजनक रही।

उपर्युक्त सारिणी यह भी दर्शाती है कि अजमेर सम्भाग में बीमा कार्यालय को प्रेषित आवेदन–पत्रों में से मात्र 3.55 प्रतिशत को व जयपुर सम्भाग में 28.36 प्रतिशत व्यक्तियों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी।

3.4 अल्प लागत शौचालय कार्यक्रम :

अल्प लागत शौचालय कार्यक्रम :

भारत सरकार व राज्य सरकार के सहयोग से विभिन्न आय वर्गों के अनुसार उपलब्ध कराई जाने वाली आर्थिक सहायता के तहत चल रहे कार्यक्रम से सूखे शौचालयों को जल प्रवाही शौचालयों में परिवर्तित करने व जिन मकानों में शौचालय नहीं है उनमें शौचालय उपलब्ध कराते हुए सिर पर मैला ढ़ोने की प्रथा को समाप्त करना इस कार्यक्रम की प्रमुखता है। सब नगरपालिकाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है।

अल्प लागत शौचालय कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2004 में राज्य के नगर निकायों में शुष्क शौचालय व उनमें कार्यरत स्वच्छकार एवं जिन मकानों में शौचालय बने हुए नहीं है, का सर्वे करवाया गया था। सर्वे के अनुसार 12691 शुष्क शौचालय एवं उनमें कार्यरत 638 स्वच्छकारों को चिन्हित् किया गया। इन सूखे शौचालयों को जलप्रवाही शौचालयों में परिवर्तित करने हेतु सुराज कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2005–06 में 200.00 लाख रुपये एवं राज्य योजना से 50.00 लाख रुपये विभाग को प्राप्त हुए। सुराज कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त राशि में से 153.00 लाख रुपये 60 नगर निकायों को आवंटित किये जाकर सभी निकायों में शेष रहे 12691 शुष्क शौचालय एवं इनमें कार्यरत 638 स्वच्छकारों को मुक्त करा दिया गया है। मुक्त कराये गये स्केवेंजर्स में महिलाओं की संख्या की सूचना विभाग के पास उपलब्ध न होने से विश्लेषण किया जाना संभव नहीं है।

3.5 अक्षय कलेवा कार्यक्रम :

राज्य के शहरी निकायों के सभी निर्धन एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को भरपेट भोजन उपलब्ध हो सके, को दृष्टि में रखते हुए 8 मई, 2006 से अक्षय कलेवा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। योजना के प्रथम चरण में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर निर्धन व्यक्तियों को स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। ढ़ांचागत सुविधाएं जिला मुख्यालय स्थित निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। भोजन उपलब्ध कराए जाने पर होने वाले व्यय की कुछ राशि भोजन प्राप्तकर्ता से तथा शेष राशि स्वयं सेवी संस्था व निकाय द्वारा वहन की जाती है। एक थाली की लागत सामान्यतया 5 रुपये से 8 रुपये के बीच होती है। सभी जिलों में थाली की रेट समान नहीं है। लाभार्थी से वहन की जाने वाली राशि भी स्वयं सेवी संस्था के योगदान पर निर्भर करती है।

प्रत्येक जिले के कलेक्टर को इस कार्यक्रम का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार 31–1–07 को राज्य में 183 नगर निकायों में से 56 निकायों में 82 आउटलेट के माध्यम से 10,195 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। कुल 67 स्वयं सेवी संस्थाएं इस पुनीत कार्य से जुड़ी हुई हैं।

4.0 आधारभूत संरचना/शहरी विकास से सम्बन्धित योजनाऐं :

आधारभूत संरचना एवं शहरी विकास से सम्बन्धित योजनाओं का जेन्डरवार विभाजन सम्भव नहीं है परन्तु विकास का लाभ पुरूष एवं महिला दोनों द्वारा समान रूप से लिया जाता है तथा विभाग द्वारा इस ओर सक्रिय प्रयास किये जा रहे हैं। अतः स्वायत्त शासन विभाग द्वारा क्रियान्वित इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है विभाग द्वारा क्रियान्वित आधारभूत संरचना एवं विकास सम्बन्धी योजनाओं का लाभ महिला वर्ग को कितना हुआ इसे अप्रत्यक्ष रूप में उस क्षेत्र की जनसंख्या में महिलाओं के अनुपात में देखा जा सकता है :–

4.1 शहरी जनसहभागी योजना :

परिचय :

शहरी विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं जन सहयोग प्राप्त कर शहरों में विकास कार्य करवाये जाने के उद्देश्य से ''शहरी जन सहभागी योजना'' दिसम्बर 2004 में आरम्भ की गई। वर्ष 2004–05 में प्रारम्भ में संभाग मुख्यालय की 6 नगर निकायों में इस योजना को प्रारम्भ किया गया। तत्पश्चात् वर्ष 2005–06 में कार्यक्रम का विस्तार करते हुए राज्य के शहरी क्षेत्र की समस्त नगर निकायों में इसका क्रियान्वयन आरम्भ किया गया। इस योजना के दो प्रमुख उद्धेश्य हैं।

1. **जन चेतना :**

इसके तहत गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं राजकीय विभागों के द्वारा आपसी सहयोग एवं समन्वय से शहरी क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया जाकर शहरों के सौन्दर्यकरण, सफाई व्यवस्था, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार एवं टीकाकरण के बारे में जन समुदाय में जन चेतना जागृत की जाकर उनकी सहभागिता प्राप्त करना है।

2. **विकास कार्य :**

राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढाँचा सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकतानुसार विभिन्न विकास कार्य यथा राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों/चिकित्सालयों/पशु चिकित्सालयों/कार्यालयों के लिए भवन व सुविधाओं हेतु समस्त स्थाई निर्माण, छात्रों हेतु शैक्षिक/सहशैक्षिक व खेल–कूद सामग्री, चिकित्सालयों हेतु आवश्यक उपकरणों का क्रय।

पानी की निकासी हेतु नाली एवं पुलिया निर्माण, हैण्डपम्प व अन्य पेयजल व्यवस्था तथा जल संग्रहण से जुड़े कार्य, समस्त प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं हेतु सार्वजनिक सम्पत्तियों का निर्माण, नगरपालिका सीमा में सड़क, उद्यानों, चौराहों इत्यादि का सौन्दर्यकरण।

इसके अतिरिक्त अन्य किसी योजना में अधूरे निर्माण कार्य पूर्ण करवाये जा सकते हैं। (मरम्मत, रंगाई, पुताई नहीं) इस हेतु शेष रहे अधूरे कार्य का सक्षम अभियन्ता स्तर से विस्तृत तकमीना बनाया जाकर कार्य कराया जा सकता है।

वित्तीय व्यवस्था :

योजनान्तर्गत कार्य की कुल लागत 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में, 30 प्रतिशत जन सहयोग एवं 20 प्रतिशत राशि संबंधित नगर निकाय, यूआईटी या पेरास्टेटल विभाग से प्राप्त की जाती है। किन्तु इसमें एम.पी. या एम.एल.ए. फण्ड की राशि शामिल नहीं की सकती।

वित्तीय प्रगति :

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए 1.00 करोड़ रूपये एवं वर्ष 2005–06 में 20 करोड़ रूपये विभाग को प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2006–07 हेतु 10.00 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।

अभी तक इस योजना में 2058.52 लाख रूपये राज्यांश के रूप में विभिन्न नगर निकायों को आवंटित किये गये जिससे लगभग 4299.92 लाख रूपये के 480 विकास कार्य कराये जा रहे हैं।

भौतिक प्रगति :

योजनान्तर्गत विभिन्न नगर निकायों में लगभग 480 विकास कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं।

4.2 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (JNNURM):

परिचय :

शहरों की तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, गंदी बस्तियों की संख्या में वृद्धि तथा उनमें रहने वाले निवासियों को मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने का दबाव एवं आगामी 20–25 वर्ष की भावी आवश्यकताओं के मध्यनजर शहरी आधारभूत ढाँचे के विकास को सुनिश्चित करने के उद्‌द्धेश्य से चुने हुए शहरों में विकास हेतु जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन 3 दिसम्बर, 2005 को आरम्भ किया गया है।

उद्‌देश्य :

चयनित शहरों में शहरी सुधारों को लागू करते हुए सुनियोजित तरीके से विकास को प्रोत्साहित करना तथा इसका अद्योसंरचना में दक्षता तथा सेवा आपूर्ति व्यवस्था में सामुदायिक सहभागिता, नागरिकों, शहरी स्थानीय निकायों/अर्धसरकारी संस्था की जवाबदेरी पर बल देना।

योजना का क्षेत्र :

यह मिशन राजस्थान के 3 शहरों जयपुर, अजमेर व पुष्कर में लागू है।

इस योजना के दो उपघटक हैं :

(अ) **शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं गवर्नेन्स :**

इसके अन्तर्गत निम्न गतिविधियाँ की जा सकती है। पुराने शहरों का पुनः नवीनीकरण, सड़कों को चौड़ा करना, औद्योगिक, व्यावसायिक इकाईयों को अधिक धनत्व वाले स्थान से दूसरी जगह स्थापित करना, पुराने पाईपलाइन, सीवरेज, गंदे पानी के निकासी की व्यवस्था का नवीनीकरण, जलापूर्ति सफाई व्यवस्था, सीवरेज, सड़क, हाइवे, एक्सप्रेसवे, पार्किंग, हेरिटेज स्थानों को विकास, पानी के स्त्रोतों का संरक्षण आदि।

(ब) **शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवायें :**

इस योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों के गंदी बस्तियों में आवास व आधारभूत सुविधाओं के विकास की परियोजना, गरीबों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा सस्ते आवास उपलब्ध कराने जैसी गतिविधियाँ प्रमुख हैं।

चयनित शहरों में शहरी सुधारों को लागू करना तथा तीव्रगामी नियोजित विकास को प्रोत्साहित करना तथा इसके अद्योसंरचना में दक्षता तथा सेवा आपूर्ति व्यवस्था में सामुदायिक सहभागिता, नागरिकों, यूएलबी/अर्द्यसरकारी संस्था की जवाबदेही पर बल देना।

राज्य स्तरीय कार्यकारी एजेन्सी :

इस मिशन के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड़ को नोडल एजेन्सी बनाया गया है।

कार्यनीति :

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ की जाती है :

1. नगर विकास योजना तैयार करना।
2. विस्तृत परियोजनाऐं तैयार करना।
3. निधियाँ जुटाना और जारी करना।
4. निजी क्षेत्रों की दक्षताओं को शामिल करना।

समयावधि :

इसकी समयावधि वर्ष 2005–06 से अगले 7 साल की है।

वित्तीय सहायता :

मिशन के अन्तर्गत चयनित तीनों शहरों में वित्तीय सहायता का अंशदान निम्नानुसार है।

क्र.सं.	विवरण		जयपुर	अजमेर–पुष्कर
1	शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं गवर्नेन्स	केन्द्रीय सहायता	50 प्रतिशत	80 प्रतिशत
2	वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार 10 लाख से अधिक तथा 40 लाख से कम जनसंख्या वाला शहर जयपुर तथा अतिरिक्त चयनित शहर अजमेर और पुष्कर।	राज्यांश	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत
		नगर निकाय अंश	30 प्रतिशत	10 प्रतिशत
	शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवायें।	केन्द्रीय सहायता	50 प्रतिशत	80 प्रतिशत
		राज्य/नगर निकाय/लाभान्वित का अंश सहित	50 प्रतिशत	20 प्रतिशत

इस योजना की मोनिटरिंग हेतु राज्य स्तर की स्टेरिंग समिति (SLSC) का गठन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में एवं माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की उपाध्यक्षता में किया गया।

योजना की प्रगति :

जयपुर शहर की शहरी विकास योजना (CDP) का भारत सरकार द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। इस परियोजना में 4408.00 करोड़ रूपये के कार्यों की पहचान की गयी है तथा मेमोरेन्डम ऑफ एग्रीमेन्ट पर भी हस्ताक्षर हो चुके हैं। अजमेर व पुष्कर शहर की सीडीपी को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। अजमेर शहर के लिए 1100.00 करोड़ व पुष्कर शहर के लिए 71.00 करोड़ के कार्यों की पहचान की जानी है।

इस मिशन अन्तर्गत बस रेपिड ट्रॉंसपोर्ट सिस्टम (BRTS) 469.91 करोड़ रूपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक रूप से मंजूरी दे दी है तथा अन्य प्रोजेक्ट यथा रामनिवास गार्डन पार्किंग प्रोजेक्ट 45.68 करोड़, अरबन रिन्यूअल ऑफ चौकड़ी सरहद् 23.36 करोड़, ठोस कचरा प्रबंधन 13.00 करोड़, हेरिटेज कन्जरवेशन प्रोजेक्ट 6.38 करोड़, सीवरेज प्रोजेक्ट झोटवाड़ा 78.73 करोड़ अनुमोदन के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं।

4.3 लघु एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढाँचा विकास योजना (UIDSSMT) :

इसका उद्देश्य छोटे और मझौले शहरों में अधोसंरचना के नियोजित विकास को बढ़ावा देना है। इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा संचालित लघु एवं मध्यम कस्बे के एकीकृत विकास योजना (IDSMT) तथा शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (AUWSP) को समेकित कर एक नयी योजना UIDSSMT आरम्भ की गयी है। इसके अन्तर्गत छोटे और मझौले शहरों के आधारभूत ढांचों के नियोजित विकास को केन्द्रित किया गया है।

योजना के उद्देश्य :

1. अद्योसंरचना की स्थिति में सुधार कर शहरी सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाना तथा लोक सम्पत्ति को अर्जित करने में मदद करना

2. अद्योसंरचना के विकास में लोक–निजी की सहभागिता को बढ़ाना

3. शहरों के नियोजित विकास को बढ़ावा देना

कार्यनीति :

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ की जायेंगी

1. परियोजनायें तैयार करना
2. निधियाँ जुटाना और जारी करना
3. निजी क्षेत्रों की दक्षताओं को शामिल करना

समयावधि :

इसकी समयावधि वर्ष 2005–06 से अगले 7 साल की होगी।

विस्तार क्षेत्र :

यह योजना राज्य के जयपुर, अजमेर व पुष्कर शहर के अतिरिक्त सभी शहरों में लागू होगी।

स्वीकृत कार्य :

1. शहर पुनर्नवीनीकरण, सड़कों गलियों को चौडा करना, व्यवसायिक, औद्योगिक इकाईयों का शहर के बाहर स्थानान्तरण, पुराने पाइपलाइन को बदल कर नयी क्षमतावान पाइपलाईनों को डालना, ड्रेनेज, कचरा प्रबन्धन आदि।

2. पानी की व्यवस्था

3. गंदे पानी के निकास की व्यवस्था तथा ठोस कचरा प्रबन्धन

4. नालियों का निर्माण तथा, सुधार, बरसाती नालियों का निर्माण तथा सुधार

5. सड़क, हाइवे एक्सप्रेसवे का निर्माण तथा सुधार

6. पार्किंग व्यवस्था लोक निजी भागीदारी के आधार पर

7. पुरातत्व क्षेत्रों का विकास

8. भूमि संरक्षण/मिट्टी कटाव की रोकथाम

9. जलाशयों का संरक्षण

यूआईडीएसएसएमटी (UIDSSMT) के अन्तर्गत सहायता :

इस योजना के अन्तर्गत 80 प्रतिशत राशि केन्द्रीय सहायता, 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार तथा शेष 10 प्रतिशत राशि नोडल संस्था/क्रियान्वयन संस्था द्वारा देय होगी।

राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी :

इस योजना की राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाईनेंस डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड़ (RUIFDCO) को बनाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों की समीक्षा एवं नये कार्यों की स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) का गठन शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में किया गया है।

योजना की प्रगति :

इस योजनान्तर्गत राज्य के 12 शहरों के 3459.06 लाख रूपये के प्रोजेक्ट स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 15 शहरों के 3675.88 लाख रूपये के प्रोजेक्ट विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त 6 शहरों के 4418.48 लाख रूपये के प्रोजेक्ट SLCC की मीटिंग दिनांक 29.8.2006 द्वारा अनुमोदित किये गये हैं।

4.4 एकीकृत आवास एवं गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP) :

परिचय :

वर्तमान में चल रही वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) एवं राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम (NSDP) को समाहित कर यह नई योजना दिसम्बर, 2005 से लागू की गई है। राज्य स्तर पर इस योजना की नोडल एजेन्सी स्वायत्त शासन विभाग है।

यह योजना जवाहरलाल नेहरू मिशन में चयनित शहरों (जयपुर, अजमेर एवं पुष्कर) के अतिरिक्त राज्य के अन्य सभी शहरों में लागू है।

उद्धेश्य :

योजना का मुख्य उद्धेश्य नियमित/नियमन योग्य गन्दी बस्तियों में आवास निर्माण एवं आधारभूत सुविधाओं एवं विकास कार्य करवाये जाकर शहरों को गंदी बस्तियों से मुक्त कराया जाना तथा आवास विहीन स्लम निवासियों को सस्ते आवास उपलब्ध कराया जाना है।

वित्तीय पेटर्न :

योजनान्तर्गत 80 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार से एवं शेष 20 प्रतिशत राशि राज्य/निकाय/अन्य विभाग/लाभार्थी के अंशदान से प्राप्त की जाती है।

आवासीय इकाई की लागत :

आवासीय इकाई की लागत 80 हजार रूपये है जिसमें से सामान्य लाभार्थी को 12 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी/विकलांग को 10 प्रतिशत वहन करनी होगी।

राज्य स्तरीय समन्वय समिति :

शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में कार्यों की स्वीकृति एवं समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जा चुका है।

प्रगति :

इस योजनान्तर्गत 3 शहरों यथा : टोंक, गुलाबपुरा, बीकानेर के 902.74 लाख रूपये के प्रोजेक्ट स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 26 शहरों के 5250.00 लाख रूपये के प्रोजेक्ट विचाराधीन है।

4.5 ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम :

ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत गन्दी बस्ती सुधार हेतु वर्ष 2000–05 तक की अवधि में लिए 4000.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। प्राप्त राशि को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा विभिन्न मदों के भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये गये ताकि निर्धारित अवधि में परिसम्पत्तियों का सृजन किया जा सके। कच्ची बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ निम्न तालिका में दर्शायी गयी है :–

भौतिक प्रगति :

सारिणी– 8
ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम की वर्ष 2000–01 से 2004–05 तक की भौतिक प्रगति

क्र.सं.	मद	निर्धारित लक्ष्य (2000–01 से 2004–05)	उपलब्धि
1.	सीवरेज एवं नालियॉ (कि.मी.)	464.75	510.22 (109.78)
2.	पानी की सप्लाई		
	(अ) हैण्डपम्प (संख्या)	437	350 (80.09)
	(ब)ट्यूबवैल (संख्या)	9	9 (100.0)
	(स) पाईप लाइन (कि.मी.)	48.06	84.33 (175.47)
3.	बिजली के खम्भे (संख्या)	4968	5276 (106.20)
4.	सामुदायिक केन्द्र (संख्या)	140	131 (93.57)

उक्त वर्षों में मदवार उपलब्धि का आकलन किया जावें तो ज्ञात होता है कि हैण्ड़पम्प में सबसे कम उपलब्धि रही है जबकि सबसे अधिक उपलब्धि पाईपलाईन में हुई है।

वित्तीय प्रगति :

राज्य की कच्ची बस्तियों के विकास हेतु विभिन्न मूलभूत सुविधाओं पर जो राशि व्यय की गयी उसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

सारिणी– 9

ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम की वर्ष 2000–01 से 2004–05 तक की वित्तीय प्रगति

मूलभूत सुविधाओं पर व्यय राशि का विवरण

(राशि लाख रूपयों में)

क्र. सं.	मूलभूत सुविधाओं का नाम	राशि का प्रावधान (2000–01 से 2004–05)	व्यय की गयी राशि					
			2000–2001	2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005	योग
1	सीवरेज एवं ड्रेनेज	2977.03	–	444.34	708.57	539.20	1251.91 (44.05)	2944.02 (98.89)
2	पानी की सप्लाई	342.57	–	43.67	78.66	32.36	198.64 (57.99)	353.33 (103.14)
3	सड़क किनारे बिजली के खम्भे/पोल	248.40	–	41.19	74.62	37.99	131.92 (53.11)	285.72 (115.02)
4	सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण पर	432.00	–	50.19	79.94	76.73	210.07 (48.63)	416.93 (96.51)
	कुल योग :	**4000.00 (100.00)**	**–**	**579.39 (14.48)**	**941.79 (23.54)**	**686.28 (17.16)**	**1792.54 (44.81)**	**4000.00 (100.00)**

नोट – कोष्ठक में दिए गये आकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

चित्र–7

ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम की वर्ष 2000–01 से 2004–05 तक की वित्तीय प्रगति

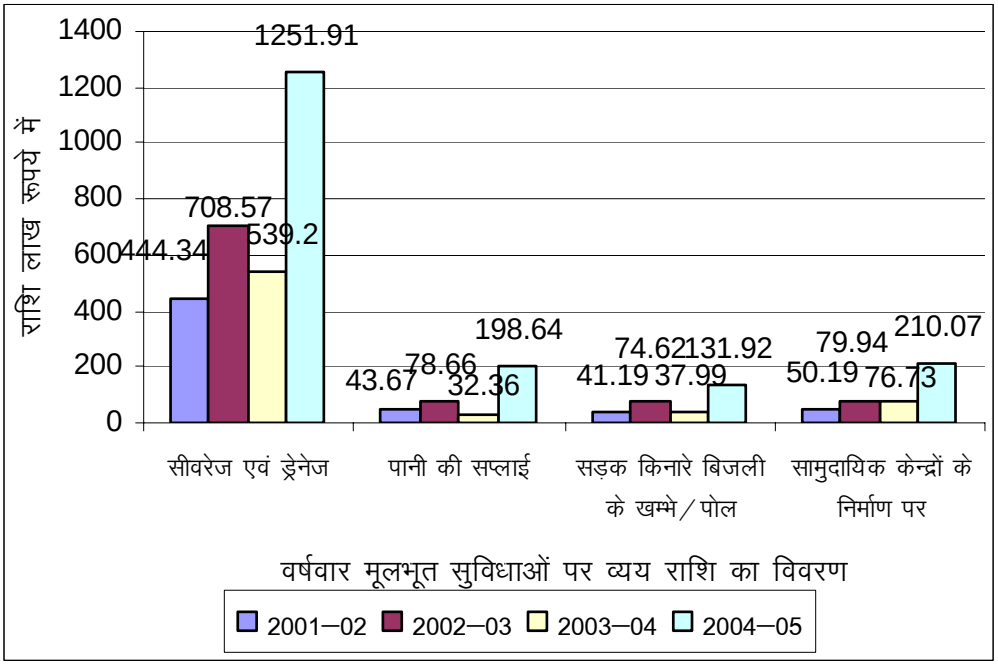

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि राज्य की कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने हेतु वर्ष 2000–01 से 2004–05 तक विभिन्न सुविधाओं के लिए राशि का जो प्रावधान रखा गया उसमें से प्रथम 4 वर्षों की अवधि (2000–01 से 2003–04) में 55.19 प्रतिशत एवं योजना के अन्तिम वर्ष 2004–05 में 44.81 प्रतिशत राशि व्यय की गयी है।

4.6 बारहवाँ वित्त आयोग अनुदान :

बारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2005–10 की अवधि के लिए 22000.00 लाख रूपये नगर निकायों को देने की अनुशंषा की गई। इस राशि के उपयोग हेतु एक कार्ययोजना तैयार की गई जिसमें ठोस कचरा प्रबन्धन, ई–गवर्नेंस एवं जी–आई–एस मैपिंग गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। कार्ययोजना अनुसार लगभग 75 प्रतिशत राशि ठोस कचरा प्रबन्धन पर व्यय की जावेगी। इसके तहत नगर निकायों को नवीनतम तकनीक के उपकरण, ट्रेक्टर–ट्रॉली आदि उपलब्ध कराये जायेंगे। वर्ष 2005–06 में 4400.00 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध अब तक 2200.00 लाख रूपये केन्द्र सरकार से प्राप्त हो चुके हैं, जिसे नगर निकायों को आवंटित किया जा चुका है। आवंटित राशि में से कार्यक्रम के तहत अब तक की प्रगति विभाग के पास उपलब्ध न होने से विश्लेषण सम्भव नहीं है।

4.7 राज्य वित्त आयोग अनुदान :

यह अनुदान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जनसंख्या को आधार मानते हुए नगर निकायों को जारी किया जाता है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत आवंटित अनुदान राशि का उपयोग आधारभूत नागरिक सेवाओं एवं सुविधाओं के रख–रखाव, आधारभूत संरचना के उन्नयन, आय व्यय के लेखे कम्प्यूटरीकृत करने एवं उचित रूप से संधारित करने तथा बारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गयी राशि के पूरक संसाधन के रूप में किया जा सकता है। इस योजना में गत 3 वर्षों में राशि आवंटन की स्थिति निम्नानुसार है :–

सारिणी– 10

राज्य वित्त आयोग अनुदान वर्ष 03–04 से 05–06 तक की प्रगति

क्र.सं.	वर्ष	वास्तविक आवंटित राशि
1	2003–04	2760.79
2	2004–05	4601.00
3	2005–06	5375.00

चित्र–8

राज्य वित्त आयोग अनुदान वर्ष 03–04 से 05–06 तक की प्रगति

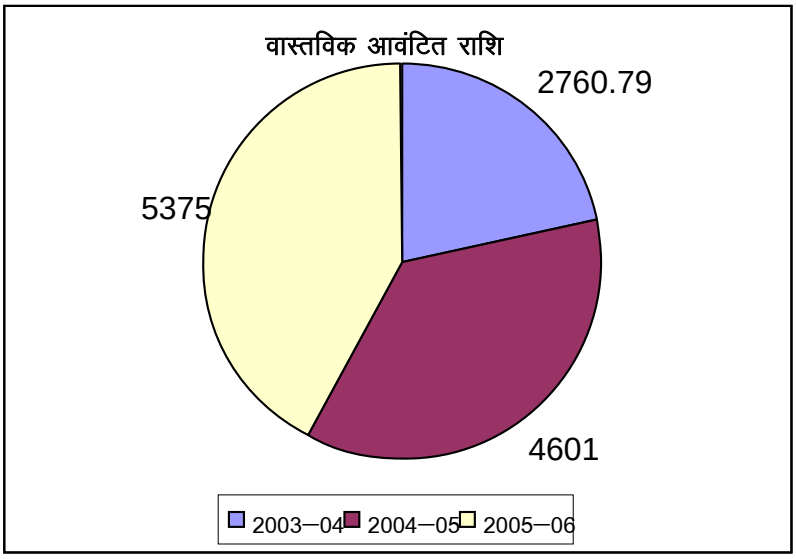

वर्ष 2006–07 में राज्य वित्त आयोग के तहत राशि रूपये 3140.00 लाख रूपये नगरीय निकायों को आवंटित किये जा चुके हैं। जिलेवार एवं मदवार व्यय राशि की सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं होने से विश्लेषण सम्भव नहीं है।

4.8 विरासत संरक्षण योजना एवं हैरीटेज वॉक योजना :

राज्य सरकार द्वारा विरासत संरक्षण एवं पुरातात्विक महत्व के 30 शहरों को संरक्षित एवं परिवर्धित करने के लिये चयनित किया गया है।

इन शहरी निकायों में जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। जिसके द्वारा योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का अनुमोदन किया गया है। जो इस योजना की क्रियान्विति के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। जिसमें पुरातत्व, कला, संस्कृति आदि विभागों का सहयोग भी लिया गया है।

चयनित शहरों में पुरातात्विक सम्पदाओं के आस–पास, साफ–सफाई, रख–रखाव, रोशनी, सड़क निर्माण, फुटपाथ निर्माण, सड़क के किनारे नाली निर्माण, रोड लाईट, शौचालय, मूत्रालय, साईनेजेज, बैंचे लगाना, खुले चौक, पार्किंग स्पेस, टूरिस्ट बूथ, विरासत महत्व के भवनों/क्षेत्रों का संरक्षण आदि कार्य करवाये जा रहे हैं।

इस योजना के अन्तर्गत नगर निकायों द्वारा कराये जा रहे अनुमोदित कार्यों की संख्या 200 से अधिक है, जिनमें अधिकांश कार्य प्रगति पर है तथा शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। जिलेवार अथवा कार्यवार प्रगति उपलब्ध न होने के कारण विश्लेषण सम्भव नहीं था।

हेरिटेज वाक :

हेरिटेज वॉक चिन्हित कर उसके आस–पास, साफ–सफाई, रख–रखाव, रोशनी, सड़क निर्माण, फुटपाथ निर्माण, सड़क के किनारे नाली निर्माण आदि कार्य किये जाते हैं। वर्ष 2003–04 के अन्तर्गत हेरिटेज वाक प्रोजेक्ट हेतु 25.00 लाख रूपये, वर्ष 2004–05 में 25.00 लाख रूपये तथा वर्ष 2005–06 में 50.00 लाख रूपये का आवंटन 10 शहरों को किया गया है।

नगर निकाय विभाग द्वारा अधिकांशतया जिलों को आवंटित राशि ही दर्शायी गयी है। विरासत संरक्षण योजना में यद्यपि अनुमोदित कार्यों की संख्या 200 दर्शायी गयी है लेकिन कितनी राशि के कितने कार्य पूर्ण हो चुके, की सूचना उपलब्ध न होने के कारण विश्लेषण किया जाना सम्भव नहीं था।

4.9 शहरी पुनरूद्धार हेतु विशेष अनुदान :

झालावाड़ शहर के पुनरूद्धार हेतु वर्ष 2004–05 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 1043.00 लाख रुपये की योजना बनायी गयी। उक्त योजना में वर्ष 2004–05 में 500.00 लाख रुपये की स्वीकृति के विरूद्ध 285.00 लाख रुपये व्यय किये गये। वर्ष 2005–06 में 2009.85 लाख रुपये एवं वर्ष 2006–07 में 400.00 लाख रुपये का आवंटन किया गया। इस योजना के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग व नगर पालिका के माध्यम से कार्य करवाये जा रहे हैं।

4.10 चुरू शहर के लिए जल विकास परियोजना :

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई बजट घोषणा 2005–06 की पालना में चुरू में जल निकास की समुचित व्यवस्था हेतु 4.48 करोड़ रूपये की एक कार्य योजना बनाई गई। चालू वित्त वर्ष में 2.50 करोड़ रूपये का संशोधित प्रावधान कराया जाकर उक्त समस्त राशि कार्यकारी एजेन्सी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को स्थानांतरित की जा चुकी है। विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार इस योजना में अब तक 61.00 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

5.0 स्वायत्त शासन विभाग की जेन्डर आधारित प्रगति का विश्लेषण :

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा वर्तमान में 15 योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही है। इनमें से पाँच योजनाऐं 1. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, 2. बालिका समृद्धि योजना, 3. पन्नाधाय जीवन अमृत बीमा योजना 4. अल्प लागत शौचालय कार्यक्रम एवं 5. अक्षय कलेवा व्यक्तिगत लाभकारी योजनाऐं हैं जिनमें महिलाओं की भागीदारी निम्न प्रकार रही है :–

सारिणी– 11

विभाग की जेन्डर आधारित प्रगति का विश्लेषण

क्र. सं.	योजना का नाम	योजनाओं की गत तीन वर्षों की प्रगति		
		कुल लाभान्वित	महिला लाभार्थी	लाभान्वितों में महिलाओं का प्रतिशत
1.	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (वर्ष 03–04 से 05–06 तक)	15402	3370	21.88
2.	बालिका समृद्धि योजना	2644	2644	100 प्रतिशत
3.	पन्नाधाय जीवन अमृत बीमा योजना			
	(i) मृत्ये दावें	19	उपलब्ध नहीं	–
	(ii)छात्रवृत्ति दावें (राज्य स्तर पर)	9706	उपलब्ध नही	–
	(ii)छात्रवृत्ति दावें (अजमेर व जयपुर संभाग में) (14.8.06 से 31.12.06 तक)	1051	427	40.62
4.	अल्प लागत शौचालय कार्यक्रम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5.	अक्षय कलेवा कार्यक्रम (1.5.06 से 31.1.07 तक)	10195	उपलब्ध नहीं	–

उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्वर्ण जयन्ती शहरी विकास योजनान्तर्गत कुल लाभार्थियों में महिला लाभार्थियों की संख्या मात्र 21.88 प्रतिशत रही है जबकि योजना के प्रावधानानुसार कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं को लाभान्वित किया जाना चाहिए। यह योजना अगस्त 2006 से लागू की गई है। अतः विभाग द्वारा विशेष प्रयास कर महिला लाभार्थियों की संख्या बढ़ाये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये।

बालिका समृद्धि योजना पूर्णतया बालिकाओं से सम्बन्धित होने के कारण इसका पूर्ण लाभ बालिकाओं को ही मिला है। गत तीन वर्षों में 2644 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है जिसका प्रतिवर्ष औसत 881 बालिकाऐं आता है। इस संख्या में वर्षवार उत्तरोत्तर वृद्धि अपेक्षित है। वर्तमान में वर्ष 2004–05 में यह संख्या मात्र 441 रही है।

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना में छात्रवृत्ति हेतु एल.आई.सी. को कुल 22701 छात्रवृत्ति दावें प्रस्तुत किये गये थे जिनमें से 9706 व्यक्तियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया एवं 334 मृत्यु दावें प्रस्तुत किये गये जिनमें से 19 दावों का भुगतान किया गया। इसमें महिला लाभार्थियों की सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है। अतः यह सिफारिश की जाती है कि अगले वित्तीय वर्ष से विभाग द्वारा लाभार्थियों की जेन्डरवार सूचना एकत्रित की जावे। पन्नाधाय योजना में अजमेर व जयपुर सम्भाग से प्राप्त सूचनानुसार छात्रवृत्ति के कुल लाभार्थियों में महिलाओं की भागीदारी 40.62 प्रतिशत रही है।

विभाग में अल्प लागत शौचालय से सम्बन्धित प्रगति उपलब्ध न होने के कारण इस योजना का जेन्डर आधारित विश्लेषण सम्भव नहीं हो पाया। अतः सिफारिश की जाती है कि अगले वित्तीय वर्ष (2007–08) से इस योजना की जेन्डर आधारित सूचना एकत्रित की जावे।

6.0 स्वायत्त शासन विभाग में कार्यरत कर्मचारी :

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के जेन्डरवार विश्लेषण के साथ–साथ नगर निकायों में कार्यरत विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों में महिलाओं की सूचना भी एकत्रित की गयी, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारिणी– 12

स्वायत्त शासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की जेन्डरवार सूचना

क्र. सं.	वर्ग	महिला	पुरूष	योग	कुल कार्यरत कर्मचारियों में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत
1.	सफाई कर्मचारी	9639	5030	14669	65.71
2.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	328	1295	1623	20.21
3.	कनिष्ठ लिपिक	115	843	958	12.00
4.	वरिष्ठ लिपिक	14	269	283	4.95
5.	स्टेनोग्राफर	4	25	29	13.79
6.	अन्य	92	2175	2267	4.06
	योग :	**10192**	**9637**	**19829**	**51.40**

चित्र–9

स्वायत्त शासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की जेन्डरवार सूचना

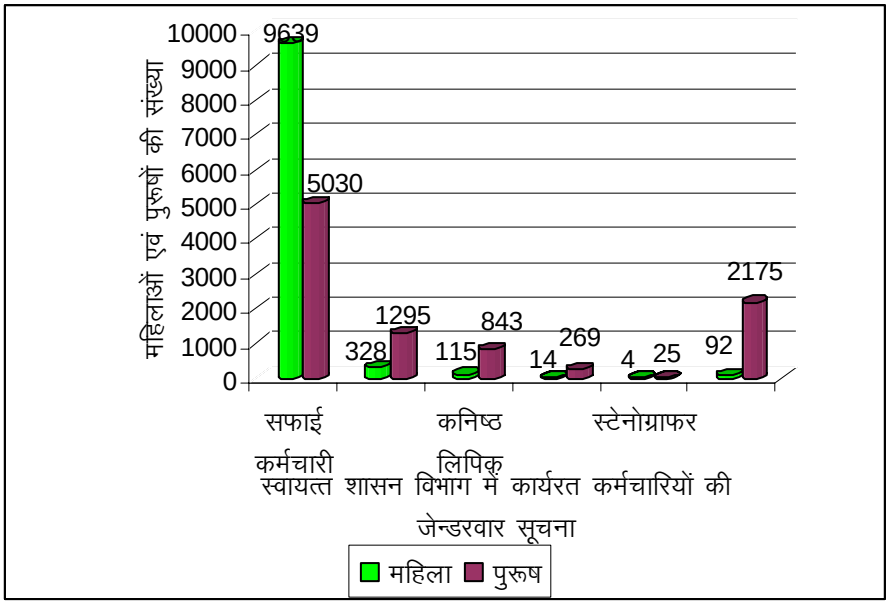

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कुल कार्यरत कर्मचारियों में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत से भी अधिक है, जो एक सन्तोष का विषय है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कनिष्ठ व वरिष्ठ लिपिक तथा स्टेनोग्राफर में महिलाओं की भागीदारी 15 प्रतिशत से भी कम रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में महिलाओं का प्रतिशत 20 रहा है लेकिन सबसे नीचे पद अर्थात सफाई कर्मचारियों में महिलाओं का प्रतिशत 65 से भी अधिक रहा है और इनकी संख्या भी काफी अधिक है। संक्षेप में निम्न श्रेणी के पदों पर अधिक महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है।

7.0 सुझाव :

यद्यपि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संचालित अधिकांश योजनाऐं आधारभूत संरचना एवं शहरी/बस्ती के विकास कार्यक्रम से संबंधित है। अतः जेन्डर प्रतिसंवेंदी बजट में विभाग की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है फिर भी उसके द्वारा क्रियान्वित विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों से महिला एवं पुरूष दोनों समान रूप से लाभान्वित होते हैं। अतः विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का विकास पर और विकास का महिला एवं पुरूष दोनों पर प्रभाव पड़ता है। अध्ययन के दौरान आयी कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न सुझाव प्रस्तावित है :–

1. विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की मॉनिटरिंग को सुधारने की महती आवश्यकता है। विभाग द्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार कार्यक्रम को छोड़कर किसी भी योजना की नियमित रूप से मासिक प्रगति तैयार नहीं की जाती है और जो भी सूचनाएँ एकत्रित की जाती है उनका सूक्ष्म परीक्षण न किए जाने के कारण आँकड़ों में काफी विसंगतियाँ भी पायी गयी।

2. विभाग द्वारा अलग–अलग योजनाओं के प्रभारी अधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव होने से विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की सूचना एक ही स्थान पर उपलब्ध नहीं है। विभाग के परियोजना प्रकोष्ठ अथवा सांख्यिकी प्रकोष्ठ में एक ही स्थान पर समस्त योजनाओं की जानकारी के साथ–साथ नवीनतम प्रगति भी उपलब्ध होनी चाहिये।

3. विभाग की अधिकांश योजनाओं की प्रगति केवल मात्र निकायों को आवंटन तक सीमित है। विभागीय स्तर पर योजनान्तर्गत वास्तविक व्यय की सूचना जिलेवार अपेक्षित है।

4. सभी कार्यक्रमों की नियमित मॉनिटरिंग हेतु योजनावार इस प्रकार के फारमेट तैयार किए जाने चाहिए कि जिनके मद एक समान हो। जैसे– 1.4 की अवशेष राशि, आवंटित राशि, व्यय राशि इसी प्रकार भौतिक प्रगति में यदि लाभान्वित हों तो व्यक्तियों, महिलाओं, पुरूषों की संख्या, यदि कार्य करवाए जाते हैं तो कार्यों की संख्या–पूर्ण, अपूर्ण आदि।

5. कार्य की अधिकता एवं स्टाफ की कमी के कारण विभाग योजनाओं के साथ पूरा–पूरा न्याय करने से वंचित रहा है, सभी विभागों में कम्प्यूटर उपलब्ध है। अतः उचित यह होगा कि सम्बन्धित कर्मचारी सूचनाऐं कम्प्यूटर में संग्रहित कर आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र उपलब्ध कराने में समर्थ हो।

6. यदि विभाग द्वारा जेन्डर आधारित सूचनाएँ एकत्रित की जाती है तो इसका विवरण एक अध्याय के रूप में वार्षिक प्रतिवेदन में भी दिया जावे।

7. स्वायत्त शासन विभाग शहरी विकास से जुड़ा एक प्रमुख विभाग है जो एक वर्ष में विभिन्न विकासीय कार्यों पर लगभग 1500 करोड़ रूपये की राशि व्यय करता है और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 8075.75 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। सूचना के अधिकार के तहत विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि क्रियान्वित योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जावे, नवीनतम प्रगति उपलब्ध हो और जो भी व्यक्तिगत लाभ की योजनाऐं हैं, उनमें अगले वित्तीय वर्ष (2007–08) से महिला लाभार्थियों की सूचनाऐं अलग से संधारित की जावे ताकि जेन्डर आधारित विश्लेषण सम्भव हो सके।

———